CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. XI, Fifth Session, 2015/1937 (Saka) No. 5, Monday, July 27, 2015/ Shravana 05, 1937 (Saka)

SUBJECT	PAGES		
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
*Starred Question Nos. 81 to 83	9-31		
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS @Starred Question Nos. 84 to 94 and			
96 to 100	32-101		
Unstarred Question Nos. 921 to 1150	102-588		

^{*} The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

[®] Question No. 95 was transferred to the Ministry of Health and FamilyWeflare.

PAPE	RS LAID ON THE TABLE	589-594
MESS	AGE FROM RAJYA SABHA	595
	ON RE: 20 TH REPORT OF BUSINESS SORY COMMITTEE	596
	ANDS FOR EXCESS GRANTS – LWAYS), 2012-2013	596
GOVI	ERNMENT BILL - INTRODUCED	
	(i) Repealing and Amending (Fourth) Bill, 2013	597
	(ii) Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2015	598
	EMENT RE: NEGOTIABLE INSTRUMENTS NDMENT) ORDINANCE	598
SUBM	IISSION BY MEMBERS	
	Re: Terrorist attack in Gurdaspur, Punjab	599-602
MAT	TERS UNDER RULE 377	621-642
(i)	Need to review the selection process for recruitment of senior trainee pilot in Air India in view of rejection of some candidates belonging to reserved category	
	Dr. Udit Raj	621-622
(ii)	Need to protect Varunavat Mountain in Uttarakhand using latest technology	
	Shrimati Mala Rajyalakshmi Shah	623
(iii)	Need to immediately allocate funds and set up super speciality blocks in different medical colleges under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana in Rajasthan	
	Shri Om Birla	624

(iv)	Need to provide transportation, drinking water and other civic facilities to the pilgrims visiting Guptadham in Sasaram Parliamentary Constituency of Bihar	
	Shri Chhedi Paswan	625
(v)	Setting up an AIIMS like Institute in Begusarai, Bihar	
	Dr. Bhola Singh	626
(vi)	Provision of reservation in promotion to the persons belonging to SC, ST and OBC	
	Shri Kaushal Kishore	627
(vii)	Need to ensure availability of doctors and medicines in each primary health Centre in Uttar Pradesh particularly in eastern region of Uttar Pradesh	
	Shri Lallu Singh	628
(viii)	Need to reopen M/s Sone Valley Cement Limited for the welfare of the poor labourers in Palamu district of Jharkhand	
	Shri Vishnu Dayal Ram	629
(ix)	Need to increase number of platforms at Muzaffarpur station and develop Narayanpur Anant station into a railway terminal in Bihar	
	Shri Ajay Nishad	630
(x)	Need to extend Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme to even those farmers whose land holdings are larger than that of marginal farmers	
	Shri C.R. Chaudhary	631

(xi)	Need to ensure growth of small and micro industries under "Make in India" mission for overall development of the economy	
	Shri Hariom Singh Rathore	632
(xii)	Need to take effective measures to abolish child labour in the country	
	Dr. Virendra Kumar	633
(xiii)	Need to include Khejri tree, known to play a vital role in preserving ecology of arid and semi-arid regions, in the list of protected plant species and take adequate measures for its conservation	
	Shri Arjun Ram Meghwal	634
(xiv)	Need to construct an outer ring road around Salem city, Tamil Nadu	
	Shri V. Panneerselvam	636
(xv)	Need to revive the muslin industry	
	Shrimati Pratima Mondal	637
(xvi)	Need to set up One Stop Trauma Care Centre meant for women affected by violence in each district of the country	
	Shri Rabindra Kumar Jena	638
(xvii)	Need to provide separate coach/seats for senior citizens in trains	
	Shri A.P. Jithender Reddy	639
(xviii)	Need to accord special category status to Andhra Pradesh for the fast economic development of the State	
	Shrimati Kothapalli Geetha	640

(xix)	Need to address the malnutrition problem in India	
	Shrimati Supriya Sule	641
(xx)	Need to immediately release funds for Amly Bagh Safari, a famous tourist place in Tonk Parliamentary Constituency of Rajasthan	
	Shri Sukhbir Singh Jaunapuria	642
DELH	II HIGH COURT (AMENDMENT) BILL, 2015	643-662
	Motion to Consider	643
	Shri D.V. Sadananda Gowda	643
	Shrimati Meenakshi Lekhi	644-646
	Shri J.J.T. Natterjee	662
MOT	ION REGARDING SUSPENSION OF MEMBER	
FRON	M THE SERVICE OF THE HOUSE	648-661
<u>ANNI</u>	EXURE – I	
Memb	er-wise Index to Starred Questions	663
Memb	er-wise Index to Unstarred Questions	664-669
<u>ANNI</u>	EXURE – II	
Minist	ry-wise Index to Starred Questions	670
Minist	671	

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Shri Anandrao Adsul
Shri Pralhad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh
Shri K.H. Muniyappa
Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, July 27, 2015/Shravana 5, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received the following notices of Adjournment Motion:

Shri Mallikarjun Kharge, Shri M. Veerappa Moily, Shri K.C. Venugopal, Shri Rajiv Satav, Shri P. Karunakaran and Shri N.K. Premachandran regarding IPL controversy; Shri Jai Prakash Narayan Yadav and Shri Dharmendra Yadav regarding caste based census; Shri A.P. Jithender Reddy regarding High Court in Telangana; Shri Md. Salim and Shri Md. Badaruddoza Khan regarding Vyapam scam; Shri Adhir Ranjan Chowdhury regarding assault on Indians residing in India Enclaves in Bangaladesh; and Shri A. Arunmozhithevan regarding wage settlement of NLC workers.

The matters, though important enough, do not warrant interruption of business of the day. The issues can be raised through other means. I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion. I will give you time.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: शुन्य काल में 12 बजे मैं आपको समय दुंगी।

...(व्यवधान)

11.01 hrs

At this stage, Shri Dharmendra Yadav, Shri Rajiv Satav, Shri Kotha Prabhakar Reddy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now we take up the Question Hour.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल चलने दीजिए।

11.02 hrs.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q.No. 81. Shri Jasvantsinh Sumanbhai Bhabhor.

(Q. 81)

श्री जसवंतिसंह सुमनभाई भाभोर: अध्यक्ष महोदया, वनबंधु योजना के तहत जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनमें जितनी राशि का उपयोग नहीं हुआ, वह कितनी है और यह जो पैसा खर्च नहीं हुआ, इसका कारण क्या है?...(व्यवधान) वनबंधु कल्याण योजना में पहले साल 100 करोड़ रुपए और दूसरे साल 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इतने कम बजट में सरकार कैसे काम कर पाएगी?...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No posters.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: यह आप नियम के खिलाफ कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसे बाहर रखकर आएं। नो प्लैकार्ड्स।

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Jai Prakash Ji and Shri Dharmendra Yadavji, placards are not allowed. No placards please.

... (Interruptions)

श्री जुएल ओराम: उस पर विचार किया गया है और शुरू में दस टीएसपी स्टेट्स में पैसा दिया गया है।...(व्यवधान) अब इसका हॉलिस्टिक एप्रोच है, वहां की आवश्यकता के हिसाब से एक ब्लाक में दस करोड़ रुपए खर्च होंगे।

श्री जसवंतिसंह सुमनभाई भाभोर: वनबंधु कल्याण योजना में किन-किन मुद्दों को शामिल किया गया है?...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप रूल्स के खिलाफ मत जाएं और प्लैकार्ड्स मत शो करें।

...(व्यवधान)

श्री जुएल ओराम: वनबंधु कल्याण योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, अवस्थापना और लाइवलीहुड जैसे 13 कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। जहां जो आवश्यक हो, उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाया जाएगा और वहीं के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और वहां के अधिकारी उस पैसे को वहीं खर्च करेंगे।...(व्यवधान)

*SHRIMATI SAKUNTALA LAGURI: Hon'ble Speaker Madam, through you I would like to know from the Hon'ble Minister that Government of India as well as State Governments are allocating lots of fund under the Tribal Sub Plan. But the money in not being spent for the welfare of the tribals.

I would like to know what is the quantum of fund which is actually being spent for the welfare of the tribals and how much is being diverted to benefit other communities? Does the Minister has any report as to indicate which state diversifies the Tribal Welfare Fund the maximum?

श्री जुएल ओराम: महोदया, ट्राइबल सबप्लान में 19 हेड में हम लोग पैसा देते हैं।...(व्यवधान) उसमें स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस है, ग्रामीण ऐड अंडर आर्टिकल 275(1) है,...(व्यवधान) वॉलियंटरी ऑर्गेनाइजेशन और आश्रम स्कूल्स, वनाश्रम...(व्यवधान) के लिए भी है। इसकी डिटेल्स भी है।...(व्यवधान) वर्ष 2012-13 आर्थिक वर्ष में 3056 करोड़ रुपये,...(व्यवधान) 2013-14 आर्थिक वर्ष में 3821 करोड़ रुपये...(व्यवधान) और वर्ष 2015-16 में अभी तक का खर्च 3850 करोड़ रुपये हो चुका है...(व्यवधान) किसी भी राज्य से मिस-यूटीलाइजेशन की स्पैसीफिक कम्पलेंट नहीं आयी है...(व्यवधान) हम बीच-बीच में इनक्वायरी करके उनके यूटीलाइजेशन को सुनिश्चित करते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: राजीव सातव जी, आप दूसरे के अधिकार को मार रहे हैं। उस तरफ चले जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बाकी लोगों का अधिकार समाप्त नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गौरव गोगोई जी, आप दूसरे का अधिकार नहीं मार सकते हैं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No placards please.

... (Interruptions)

* English translation of the speech originally delivered in Oriya.

HON. SPEAKER: Rajeev Satav and Gaurav Gogoi, please go there.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No placards please.

... (Interruptions)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, देश की आजादी के बाद आदिवासी समुदायों के विकास हेतु...(व्यवधान) अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम तथा अनुसुचित जनजातियों के लिए आदिवासी कल्याण की योजनाएं प्रारम्भ की गयीं...(व्यवधान) इसके लिए काफी धनराशि भी आवंटित हुई है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च नहीं हो पाता है...(व्यवधान) कई राज्य तो 50 प्रतिशत से भी कम राशि खर्च नहीं कर पाते हैं, जो राशि रह जाती है, वह रद्द कर दी जाती है...(व्यवधान) विसंगतियों को देखा जाए तो हजारों-करोड़ रुपये आदिवासी समुदाय से छिन रहा है...(व्यवधान) शिक्षा के क्षेत्र में भी समुचित प्रबंध नहीं होने से आदिवासी छात्रों में साक्षरता की दर कम होने के कारण नौकरियों में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है...(व्यवधान) जहां तक वन अधिकार क्षेत्र का मामला है, इसमें भी आधे दावों को ही मालिकाना हक मिल पाता है...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और संबंधित विभाग के हमारे मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि काफी महत्वपूर्ण कदम उनके द्वारा उठाए गए हैं...(व्यवधान) लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आवंटित राशि के शत-प्रतिशत उपयोग,...(व्यवधान) रिक्त पदों की पूर्ति तथा विशेष अभियान एवं वन भूमि का मालिकाना हक दिलाने हेतु क्या सरकार कोई विशेष योजना बनाने जा रही है?...(व्यवधान) श्री जुएल ओराम: अध्यक्ष महोदया, आवंटित राशि ठीक से खर्च हो,...(व्यवधान) उसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म हैं..(व्यवधान) वहां स्थानीय स्तर पर प्रोजेक्ट लेवल कमेटी आईटीडीए और कलेक्टर के चेयरमैनशिप में काम होता है...(व्यवधान) उसमें एमपी भी मैम्बर होता है।...(व्यवधान) उसमें जो पैसा खर्च होता है, उसकी डिटेल प्लानिंग होती है...(व्यवधान) यह पैसा बजटिड अमाउण्ट होने के बाद भी नॉन लैप्सेबल है...(व्यवधान)

इसिलए जो खर्च कम होता है, वह आगे कैरी फारवर्ड हो जाता है। वहां की वन भूमि के पट्टे के लिए हम निरंतर सेमिनार, सिम्पोजियम और मीटिंग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनैस करके पट्टे देने के लिए काम करते हैं।

दूसरा इसके लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए कई सारी योजनाएं हैं, उसमें एकलव्य माडल रेसिडेंशियल स्कूल भी है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको मना नहीं किया है। प्लीज, आप यह प्लैकार्ड्स रख दीजिए। जयप्रकाश जी, प्लैकार्ड्स रख दो, प्लैकार्ड्स नहीं दिखाने हैं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No placards please.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गौरव गोगोई प्लैकार्डस रख दें।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No placards please. प्लैकार्ड्स रख दो।

SHRI K. PARASURAMAN: Madam Speaker, though successive five-year plans have provided for the needs of tribal populations within different schemes and a large amount of funds are allocated, little improvement has been noted on the ground. ... (*Interruptions*) Ensuring good healthcare delivery in remote tribal areas in our country is one of the challenges of the Government. Access to quality healthcare, 100 per cent vaccination, quality education, nutritional food provision, safe housing and availability of sanitation and clean drinking water have not been achieved in tribal areas. ... (*Interruptions*) I would request the hon. Minister to inform the House about the action plan to achieve the challenges on these issues at least in future. ... (*Interruptions*)

श्री जुएल ओराम: महोदया, जो इंटिग्रेटिड एक्शन प्लान है, उसमें हैल्थ, एजूकेशन, लाइवलिहुड एवं हाउसिंग भी है, वहां का पैसा जैसा आबंटित करते हैं, उसके हिसाब से उस एरिया के अधिकारी लोग विचार करके क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, वह प्रायोरिटी फिक्स करते हैं और उसके हिसाब से काम होता है। थोड़ा युटिलाइजेशन कम है, लेकिन उसे हम निरंतर मानिटरिंग करके इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 82

श्री राहुल शेवाले - उपस्थित नहीं।

श्री विनायक भाउराव राउत - उपस्थित नहीं।

(Q. 82)

डॉ. **किरीट सोमैया :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्राइवेट कंपनियों ने आपके पास क्या रेट मांगा था और इसके पहले क्या रेट था।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is not fair.

...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया: आठ डालर के करीब डिमांड की थी, लेकिन भारत की मोदी सरकार ने वास्तव में गैस के प्राइस कम किये हैं। इस बारे में मैं उनका अभिनंदन करूंगा। उसके बारे में वह सदन को विशेष जानकारी दें, यह प्रार्थना करता हूं।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदया, जब 2014 में नई सरकार बनी, सरकार के सामने पुरानी सरकार का फैसला, जो चुनाव आयोग के कारण कुछ दिनों के लिए स्थगित था, इस प्रकार का एक प्रश्न आया था, उसमें जो उन दिनों में 4.2 दर थी, उसे पिछली यूपीए सरकार 8.4 बनाकर गई थी। देश में उस पर विरोध था। ...(व्यवधान) मामला ज्यूडिशियल स्कूटनी तक पहुंचा था। ...(व्यवधान) पार्लियामेंट्री स्कूटनी चल ही रही थी। ...(व्यवधान) नई सरकार अक्टूबर महीने में देश के सामने गैस प्राइसिंग का नया फार्म्युला ले कर आई। ...(व्यवधान) विश्व के सारे मार्केट को देखते हुए, चार प्रमुख मार्केट यार्ड को देखते हुए नई सरकार ने बहुत विचार-विमर्श करने के बाद, कई स्टेक होल्डर्स से विचार-विमर्श करने के बाद, कई एक्सपर्ट्स से विचार-विमर्श करने के बाद देश के ग्राहकों की क्रय शक्ति को ध्यान में रखते हुए, निवेश के जो सही संकेत मिले उसे भी ध्यान में रखते हुए, गैस प्राइसिंग का नया फार्म्युला, अक्टूबर, 2014 में लाया गया। ...(व्यवधान) जो हरेक छह महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए परिवर्तित होगा, ऐसी भी शर्त रखी गयी। ...(व्यवधान) जिसकी दर अगर महोदया आज हम देखें कि जो दाम हमारी सरकार के आते समय 8.4 डॉलर तक पहुंचे थे, उसको आज 5.5 डॉलर में दिया जा सकता है। ...(व्यवधान) वह बाद में घट कर 4.66 डॉलर तक आया है। ...(व्यवधान) यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि नई सरकार की रही है। ...(व्यवधान) ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला किया है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Dharmendra Yadav, please go to your seat, otherwise you will not get an opportunity at 1200 hours.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not fair.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will allow you in 'Zero Hour' but you go to your seat.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No posters please.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Please put them down. This is not fair.

... (Interruptions)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: महोदया, देश के हर राज्य में कई सारी आंगनवाड़ियां हैं। ...(व्यवधान) वहां पर बच्चों के लिए जो खाना बनाया जाता है, वह लकड़ियों को जला कर बनाया जाता है। ...(व्यवधान) उसकी वजह से धुंआ फैलता है। ...(व्यवधान) उसकी वजह से पर्यावरण प्रभावित होता है। ...(व्यवधान) गुजरात सरकार ने एक फैसला लिया था कि आंगनवाड़ियों में निःशुल्क तौर पर एल.पी.जी. मुहैया करायी जाएगी। ...(व्यवधान) में मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि क्या वे देश की सभी आंगनवाड़ियों में निःशुल्क गैस मुहैया करवाएंगे? ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: महोदया, यह एक अलग प्रश्न है, फिर भी माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण सवाल सदन में प्रस्तुत किया है। ...(व्यवधान) इन दिनों प्रधान मंत्री जी ने संपन्न लोगों से अपने हिस्से की सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। ...(व्यवधान) 13 लाख से ज्यादा लोग, जिनमें सामन्य लोग, मध्यमवर्गीय लोग, संपन्न लोग हैं, उन्होंने सब्सिडी छोड़ दी है। ...(व्यवधान) आज दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है। ...(व्यवधान) वह सारी छोड़ी हुई गैस सब्सिडी, जो अब उपलब्ध है, उस पर प्रधान मंत्री जी ने यह निर्देश दिया है कि उसको देश के गरीबों के घर में लगाया जाए। ...(व्यवधान) आंगनवाड़ी भी एक विषय है। ...(व्यवधान) आज प्रश्नकर्त्ता ने जो सुझाव दिया है, क्या उसको भी हम देश भर में लागू कर सकते हैं, उस पर भी विचार कर सकते हैं। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे: अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय का उत्तर तो वैसे काफी क्लियर है। ...(व्यवधान) लेकिन अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें बार-बार जो प्राईवेट ऑपरेटर्स हैं, उनका जो कॉस्ट एसक्लेशन हैं, इसके डायरेक्टर जनरल हाईड्रोकार्बन इसके ऊपर बार-बार कहते रहे हैं कि इन्होंने अपने हिसाब से एक

मैंडेट्री आदेश कर लिया और इसमें इनके प्रोडक्शन का कॉस्ट एसक्लेट हुआ है। ...(व्यवधान) इसके बाद भी

मंत्री महोदय ने जो गाईडलाइंस निकाली हैं, पॉइंट 11 में, यह यू.पी. सिंह साहब का जो ऑर्डर है, वह कह

रहे हैं कि, the price determined under these guidelines would be in US Dollar per

MMBtu. ...(व्यवधान) तो जिस तरह से डॉलर का फ्लैक्च्एशन हो रहा है, 40 रूपये से यह भाव 60

रूपये हो गया, 60 रूपये से कभी 65 रूपये हो जाता है, तो कभी 70 रूपये हो जाता है। ...(व्यवधान)

हमारा जो नुकसान होता है, भारत सरकार की क्या ऐसा मजबूरी है कि वह डॉलर के टर्म पर यह प्राइस

फिक्स करते हैं और इससे भारत सरकार को कितना नुकसान हो सकता है? ...(व्यवधान) मैं मंत्री महोदय

से यही जानना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: महोदया, नुकसान का तो कोई विषय नहीं है। माननीय सदस्य अर्थनीतिक विषय के बड़े

जानकार व्यक्ति हैं।...(व्यवधान) ऑयल एंड गैस एक इन्टरनेशनल कमोडिटी है।...(व्यवधान) बाकी देश की

जो प्रैक्टिस है, हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करके ही हिसाब करते हैं।...(व्यवधान) लेकिन यह विषय सही

है, हम कभी न कभी देश की अपनी करेंसी की ताकत बढ़ाकर अपने ही टर्म पर उसे खरीदेंगे।...(व्यवधान)

जैसे अभी ईरान में हम इन्डियन करेंसी से खरीदते थे।...(व्यवधान) एक समय आएगा, मोदी जी के नेतृत्व में

हमें भरोसा है,...(व्यवधान) एक ऐसा समय आएगा जब इन्डियन करेंसी की भी ताकत बढेगी और हम अपनी

ही करेंसी में इन्टरनेशनल कमोडिटी को खरीद सकते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन नम्बर 83. श्री कीर्ति वर्धन सिंह - उपस्थित नहीं।

कुँवर हरिवंश सिंह।

(Q.83)

कुँवर हरिवंश सिंह: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि रेलगाड़ियों में घटिया किरम के खाने की कई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं।...(व्यवधान) मैं इस सम्बन्ध में सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि अब तक कुल कितनी कम्पनियाँ रेल में खानपान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आई.आर.सी.टी.सी. के अधीन पंजीकृत हैं?...(व्यवधान) खानपान की गुणवत्ता खराब होने के कारण पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान कितनी कम्पनियों पर कार्रवाई की गई या उन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया।...(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रभु: महोदया, आई.आर.सी.टी.सी. ने एक नए कारोबार की शुरूआत की है, उसे ई-कैटरिंग कहते हैं। उसके तहत जहाँ भी लोगों को खानपान सेवा रेल से दी जाती है, उसके अलावा भी लोगों को एक पर्याप्त सेवा मिल गई है।...(व्यवधान) यदि कोई कुछ भी खाना चाहते हैं तो उस सेवा के तहत आप जो खाना चाहें, उसका ऑर्डर कर सकते हैं।...(व्यवधान) जिस खाने का आप ऑर्डर देंगे, वही खाना आपको डिलिवर किया जाता है।...(व्यवधान) यह हमेशा निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें कोई भी शिकायत खाने के बारे में आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।...(व्यवधान) ऐसी जो कम्पनियाँ हैं, जिन्होंने टेंडर में भी काम लिया होगा, लेकिन वे ठीक तरह से सेवा नहीं दे रही हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No placards please.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर हरिवंश सिंह, आप सेकेंड सप्लीमेंट्री पूछिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अजय मिश्रा।

...(व्यवधान)

श्री अजय मिश्रा टेनी: महोदया, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हमारा जो लोक सभा क्षेत्र है, वहाँ पर ब्रॉड गेज लाइन नहीं है।...(व्यवधान) क्या मीटर गेज लाइनों वाले स्टेशनों पर भी रेलवे यात्रियों को टैक्सी और कुलियों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा देने का काम माननीय रेल मंत्री जी करेंगे?...(व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा): अभी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उनके यहाँ मीटर गेज के गेज कन्वर्जन के लिए पर्याप्त धन इस बार दिया गया है।...(व्यवधान) उन्हें मालूम है कि आने वाले चार महीने के अन्दर वह कार्य पूरा हो जाएगा।...(व्यवधान) कई रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा आई.आर.सी.टी.सी. ने प्रदान की है और इसका असेरमेंट करने के बाद बाकी स्टेशनों पर भी इसका विस्तार किया जाएगा।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at Twelve o'clock.

11.24 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now Papers to be Laid on the Table of the House.

... (Interruptions)

12.01 hrs

At this stage Shri Ravneet Singh, Shri Dharmendra Yadav, Shri Kotha Prabhakar Reddy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980:-

(1) The Company Secretaries (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases)

Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.

314(E) in Gazette of India dated 23rd April, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2729/16/15]

(2) G.S.R.315(E) published in Gazette of India dated 23rd April, 2015 establishing a Tribunal Consisting of the persons, mentioned therein, to decide the disputes arising under Section 10A of the Company Secretaries Act, 1980 in the matter of election to the Council of the Institute of Company Secretaries of India held in December, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 2730/16/15]

(3) G.S.R.323(E) published in Gazette of India dated 27th April, 2015 making certain amendments in the Notification No. G.S.R. No. 490(E) dated 13th July, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 2731/16/15]

... (Interruptions)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र): महोदया, मैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 9 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का0आ0 1432(अ) जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए ढाँचा तैयार करने हेतु अनुदेश अधिसूचित किए गए हैं, जो राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ। [Placed in Library, See No. LT 2732/16/15]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Madam, on behalf of my colleague, Shri Jagat Prakash Nadda, I beg to lay on the Table a copy of the Drugs and Cosmetics (3rd Amendment) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 570(E) in Gazette of India dated 7th August, 2014 under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

[Placed in Library, See No. LT 2733/16/15] ... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the BEML Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2734/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Homoeopathy Central Council (Registration) (Amendment) Regulations, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. 7-1/2004-CCH(Pt.) in Gazette of India dated 11th April, 2015 under sub-section (2) of Section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973.

[Placed in Library, See No. LT 2735/16/15]

- (2) A copy of the Drugs and Cosmetics (4th Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 390(E) in Gazette of India dated 18th May, 2015 under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 2736/16/15] ... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the MMTC Limited and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2737/16/15]

(2) A copy of the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 286(E) in Gazette of India dated 15th April, 2015 under sub-section (2) of Section 28A of the Boilers Act, 1923.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 2738/16/15]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE, MINISTER OF STATE OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (DR. MAHESH SHARMA): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Aircraft (Amendment) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 97(E) in Gazette of India dated 18th February, 2014 under Section 14A of the Aircraft Act, 1934, together with an explanatory note.

[Placed in Library, See No. LT 2739/16/15]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Report (Hindi and English versions) on the progress made in the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes against vacancies reserved for them in recruitment and promotion categories on the Railways for the year ending 31st March, 2014.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2740/16/15]

(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT 2741/16/15]

(2) A copy of the Draft Notification No. File No. 6/1/2014-Recovery (Hindi and English versions) notifying NBFCs having asset size five hundred crores rupees and above as per their last audited balance sheet, as 'Financial Institutions' under sub-section 2(1)(m)(iv) read with Section 31A of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 under sub-section 2 of the Section 31A of the Act.

[Placed in Library, See No. LT 2742/16/15]

(3) A copy of the Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 523(E) in Gazette of India dated 1st July, 2015 under Section 9 of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 2743/16/15]

(4) A copy of Notification No. G.S.R.493(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 15th June, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 24/2015-Customs dated 8th April, 2015 under section 159 of the Customs Act, 1962.

[Placed in Library, See No. LT 2744/16/15]

(5) A copy of the Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 18 of 2015)-Compliance Audit Observations for the year ended March, 2014 under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 2745/16/15]

- (6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.
 - (i) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. LAD-NRO/GN/2014-15/27/541 in Gazette of India dated 24th March, 2015.
 - (ii) The Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI-NRO/OIAE/GN/2015-16/001 in Gazette of India dated 9th April, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2746/16/15]

(7) A copy of the 24th Progress Report (Hindi and English versions) on the Action Taken pursuant to the Recommendations of the Joint Parliamentary Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto, July, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2747/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 34 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990:-
 - (i) The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole time Members and Part-time Members (Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 461(E) in Gazette of India dated 5th June, 2015.
 - (ii) The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) [Senior Financial Officer and Financial Officer to Chief Engineer (Civil) in Civil Constructing Wing] Recruitment Regulations, 2015 published in Notification No. N-10/19(A)/2013-PPC in Gazette of India dated 30th March, 2015.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (ii) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2748/16/15]

12.03 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report a message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Friday, the 24th July, 2015 adopted the following motion in regard to the Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2015 which was passed by the Lok Sabha on the 13th May, 2015 and laid on the Table of the Rajya Sabha on the same day:-

MOTION

"That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Negotiable Instruments Act, 1881, which was passed by the Lok Sabha on the 13th May, 2015 and laid on the Table of the Rajya Sabha on the same day."

12.04 hrs

MOTION RE: 20TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, I beg to move:

"That this House do agree with the Twentieth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 23rd July, 2015."

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Twentieth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 23rd July, 2015."

The motion was adopted.
... (Interruptions)

12.04 ½ hrs

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS – (RAILWAYS), 2012-13

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SURESH PRABHU): I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Demands for Excess Grants in respect of the Budget (Railways) for 2012-13.

12.05 hrs

GOVERNMENT BILLS -Introduced

(i) REPEALING AND AMENDING (FOURTH) BILL, 2013*

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): I beg to move for leave to introduce a Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments.

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments."

The motion was adopted.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 27.07.2015

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

12.05 ½ hrs.

(ii) NEGOTIABLE INSTRUMENTS (AMENDMENT) BILL, 2015*

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Negotiable Instruments Act, 1881.

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Negotiable Instruments Act, 1881."

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: I introduce the Bill.

... (Interruptions)

12.06 hrs.

STATEMENT RE: NEGOTIABLE INSTRUMENTS (AMENDMENT) ORDINANCE[®]

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay on the Table an explanatory Statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2015 (No.6 of 2015).

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 27.07.2015

[@] Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2749/16/15

HON. SPEAKER: Now we will take up 'Zero Hour'.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप अपने-अपने पोस्टर बैनर नीचे करिये।

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No posters and no banners please.

... (Interruptions)

12.07 hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Terrorist attack in Gurudaspur, Punjab

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): A serious incident has happened in Gurdaspur... (*Interruptions*). The Government wants to make a statement. After this encounter is over, the Home Minister will make a statement about the Gurdaspur incident. This is an important issue concerning the national security... (*Interruptions*).

I would request the hon. Speaker to allow the Home Minister afterwards. We will be taking the House into confidence and make a statement on Gurdaspur encounter... (*Interruptions*). Still the encounter is on and once it is over, we will make a statement... (*Interruptions*)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): मैडम स्पीकर, मैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स से सहमत हूं।...(व्यवधान) गुरुदासपुर में जो बहुत गम्भीर इंसीडेंट हुई है, जिसका अभी मुकाबला चल रहा है, वह बहुत संवेदनशील है।...(व्यवधान) मैं इनसे अपील करना चाहता हूं कि देश के हित में, देश के लोगों के हित में आप दो मिनट के लिए यह जो गुरुदासपुर में घटना हुई है, उस पर हमें चर्चा कर लेने दीजिए और गृह मंत्रालय से रिपोर्ट आ जाने दीजिए।...(व्यवधान) यह देश की सुरक्षा का मामला है, देश के हितों का

मामला है। ...(व्यवधान) पंजाब को बर्बाद किया जा रहा है और ये लोग तमाशा देख रहे हैं।...(व्यवधान) इनको इसका नोट लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि पंजाब ने पिछले दो दशकों में बहुत नुकसान उठाया है। ...(व्यवधान) बाहरी फोर्सेज़ मिलकर पंजाब को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। ...(व्यवधान) वहां लोग खतरे में हैं और वहां लोग मारे गये हैं। वहां लोगों के घरों में बहुत अफसोस है।...(व्यवधान) ये तमाशा देख रहे हैं, इनको रोका जाये।...(व्यवधान) वहां की जो इंसीडेंट है, उसके साथ इन्हें सामने आना चाहिए।...(व्यवधान) आज राष्ट्र देख रहा है और राष्ट्र के लोग हमारी सरकार से कुछ जानना चाहते हैं और ये लोग तमाशा देख रहे हैं, इन लोगों को रोका जाये। ...(व्यवधान) गुरुदासपुर की जो इंसीडेंट हुई है, उसके साथ सामने आना चाहिए और मैं समझता हूं कि सारे हाउस को इसकी जोरदार निन्दा करनी चाहिए और सब की एक आवाज होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री दुष्यंत चौटाला को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा के साथ सम्बद्ध होने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): महोदया, मैं दीनानगर में सुबह 5.30 बजे आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ है और जम्मू जा रही बस के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया, उसमें कई लोगों की कैजुअलिटी हुई है और अभी भी थाने को बंधक करके रखा हुआ है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से पंजाब, जो शान्ति से अभी चल रहा था, उसको अशान्त करने की बोर्डर के उस पार से जो कोशिश चल रही है और आन्तिरिक सुख्धा को बिगाड़कर देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो रही है,...(व्यवधान) ऐसे हालात मैं मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि सरकार बयान दे कि उस पर क्या कार्रवाई हो रही है और यह सदन उस पर चर्चा करे और चर्चा करके बोर्डर पार से जो आतंकवाद हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए एक यूनानिमस रैजोल्यूशन पास किया जाये।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल, श्री पी.पी. चौधरी, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री निशिकान्त दुबे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री एस.एस.अहलुवालिया के साथ सम्बद्ध होने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री एम. वैंकेय्या नायडू: महोदया, यह गंभीर मामला है।...(व्यवधान) सरकार ने इसे ऑलरेडी नोटिस में लिया है।...(व्यवधान) सेंट्रल गवर्नमेंट वहां की स्थिति के बारे में प्रदेश सरकार से बातचीत कर रही है।...(व्यवधान) वहां अभी भी इनकाउंटर चल रहा है।...(व्यवधान) जब इनकाउंटर समाप्त होगा, तब गृह मंत्रालय के द्वारा सरकार वक्तव्य देगी और हम इस पर चर्चा भी करेंगे।...(व्यवधान)

मैं विपक्ष के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।...(व्यवधान) कृपया इसमें अंतराल मत कीजिए।...(व्यवधान) इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान) देश की

एकता और अखंडता के लिए हम सब लोगों को सदन में एक स्वर में बोलना चाहिए।...(व्यवधान) यह मेरा विपक्ष से अनुरोध है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री हरिओम सिंह राठौड़ जी। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

तथागत जी. एक मिनट रूकिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग पोस्टर नीचे कीजिए। I am again saying that this is not allowed.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: मेरा फिर से आप सभी से अनुरोध है कि this is not allowed. This is against the rule.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : इस प्रकार से बैनर्स दिखाना अगेंस्ट-द-रूल है। प्लीज़, इसे नीचे कीजिए। प्लीज़, इसे हटाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मेरा फिर से निवेदन है। It is against the rule.

तथागत सत्पथी जी।

...(व्यवधान)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): The way the Gurudaspur incident has taken place is a matter of grave concern. It shows that once again on the soil of India terrorism is back with full force. Not only the flags of ISIS is flying high all over Jammu and Kashmir, but it also is a threat. The threat is perceptible. The threat is right here in the country. This is a time when all political parties and the civil society and everybody have to unite and fight this threat to the country. This is not a matter to be politicized. We are not politicizing it. But I would like to beseech through you to the Government that strictest action should be taken. Immense force should be used and India has to stand up as a country that is determined to fight terrorism.

HON. SPEAKER: Shri P.P. Chaudhary is permitted to associate with the issue raised by Shri Tathagata Satpathy.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): मैडम, आज जो कुछ पंजाब के गुरदासपुर में दीनानगर में हो रहा है, यह कंडेम्नेबल है। We are one in condemning this terrorist attack. People are still fighting. The Army is there. But the question is the kind of politics we are having in Jammu and Kashmir and in Punjab today. This has resulted in the resurgence of the terrorist groups. The Government has to be blamed for this. Government must come out with facts about what is happening in Punjab and Jammu and Kashmir. Why has there again been a resurgence of terrorism?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सब को बताना चाहूंगी कि चूंकि अभी कार्रवाई चल रही है, और जैसा माननीय वेंकैया जी ने कहा, माननीय गृह मंत्री स्वयं आकर सदन में अपना बयान देने वाले हैं। तब तक आप कृपया करके सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam Speaker, the Gurudaspur incident is very unfortunate and we all stand by it. Now we want to know as to what exactly is happening. We also welcome the fact that a statement in this regard will be made by the hon. Home Minister... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इस इश्यू के बारे में तो मैंने कहा है। आप तेलंगाना के इश्यू के बारे में बोलना चाहते थे।

...(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: मैडम, अभी मैं तेलंगाना इश्यू के ऊपर नहीं बोलना चाह रहा हूं। अभी मैं गुरदासपुर के इश्यू के ऊपर बोलना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसके ऊपर तो मैंने बता ही दिया। I am not asking about that, क्योंकि जो माननीय सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें बोलने के लिए एलाउ नहीं करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : मैडम, देश के लिए हम लोग सब एक हैं।...(व्यवधान)

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द): महोदया, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।...(व्यवधान) वहां पर निर्मित फोर-लेन रोड, जो खण्ड गोमती और उदयपुर के बीच निर्माणाधीन है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बहुत सारी अनियमितताएं, बहुत सारी किमयां रह गयी हैं।...(व्यवधान) उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पुनरीक्षण की आवश्यकता है।...(व्यवधान) वहां की आबादी, जो दो भागों में विभाजित हो रही है, उन दोनों भागों में आने-जाने के लिए कोई सुविधा उस प्रोजेक्ट में नहीं रखी गयी है।...(व्यवधान) कई जगह स्कूल और गांवों की आबादी अलग-अलग दिशा में है और बीच में फोर-लेन नेशनल हाई-वे निर्मित हो रहा है।...(व्यवधान) ऐसी स्थिति में वहां के बालकों को सड़क पार करने में बहुत असुविधा हो रही है।...(व्यवधान) नाथूद्वारा क्षेत्र में नगर में जाने के रास्ते अवरूद्ध हो गए हैं।...(व्यवधान) केलवा के अंदर जो अंडरपासेज की जरूरत है, वहां वह अंडरपासेज नहीं बने हैं।...(व्यवधान)

ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दें और जो अभी वहां निर्माण की स्थिति है, उसमें जो परिवर्तन की आवश्यकता है, उसे परिवर्तित करके वहां पर जनता को उन सुविधाओं को उपलब्ध कराएं।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक बार पुनः निरीक्षण करके वहां पर आवश्यकता के अनुसार जो भी निर्णय लेने हैं, वे लिए जाएं।...(व्यवधान) मेरा आपसे यही निवेदन है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Kodikunnil Suresh.

... (Interruptions)

SHRI B. SRIRAMULU (BELLARY): Madam Speaker, in Karnataka, everyday 10 to 15 farmers are committing suicide. The Government of Karnataka is not taking any action about the farmers committing suicide. जो फार्मर्स शुगरकेन, पैडी ग्रो करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से डेली 15 से 20 मेंबर्स सुसाइड कर रहे हैं। ...(व्यवधान) जो कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने किमट किया था, जो शुगरकेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको एक टन के लिए 2,650 रूपए किमटमेंट किया था। जो किमटमेंट किया, उसे अभी तक फुलिफलमेंट नहीं किया है। ...(व्यवधान) डेली 10 से 15 मेंबर्स कर्नाटक में सुसाइड कर रहे हैं। ...(व्यवधान) कर्नाटक के फार्मर्स को सेव करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फार्मर्स को सुसाइड से रोकना चाहिए। ...(व्यवधान) इसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो 2,650 रूपए प्रति टन शुगर केन के लिए किमट किया था, अभी वे पैसे फार्मर्स को नहीं मिल रहे हैं। ...(व्यवधान) इसलिए मैं चाहता हूं ऐज अर्ली ऐज पॉसिबल फार्मर्स को दिया किमटमेंट फुलिफलमेंट करना चाहिए। ...(व्यवधान) मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फार्मर्स ने बैंक्स से लोन लिए हैं, उनको

बच्चों की शादी भी करनी है, वहां बारिश भी नहीं हुई है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो किमटमेंट किया था, वह किमटमेंट पूरा करके उनको पैसे दिलाने की मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी और कुमारी शोभा कारान्दलाजे को श्री बी. श्रीरामुलु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Hon. Speaker, chit fund companies in South India particularly in Tamil Nadu have been serving the community for a long time with a good track record. Registered chit fund companies have been very useful in funding the unfunded ones.

Madam, these chit fund companies are regulated by the Chit Fund Act, 1982 and are monitored by the State Government. Chit fund companies are also a non-banking financial entity like loan companies, hire purchase finance companies and leasing companies. The interests received by the finance companies have been exempted 100 per cent from service tax. Hire purchase and leasing companies have been exempted to the extent of 90 per cent from the levy of service tax.

The chit fund companies are treated on par with other NBFCs in the matter of service tax is fair and reasonable. I, therefore, request through you, to the hon. Finance Minister to consider reduction of 14 per cent service tax at par with other financial institutions.

श्री ओम बिरला (कोटा): महोदया, राजस्थान के कोटा, बूंदी जिले के अंदर जंगली जानवरों के कारण वहां के किसानों की फसल सुरक्षित नहीं है। ...(व्यवधान) हालत यह है कि नदी के किनारे-किनारे पूरे राजस्थान के अंदर जंगली जानवर किसानों की खड़ी फसल को समाप्त कर देते हैं।...(व्यवधान) इससे किसानों का करोड़ों रूपए का नुकसान हो रहा है। ... (व्यवधान)

अभी सांगौर के अंदर एक सुअर ने एक व्यक्ति को मार दिया। ...(व्यवधान) पहले फसलें खराब होती थीं और अब लोगों की जानमाल भी सुरक्षित नहीं है। ...(व्यवधान) मेरा सरकार से निवेदन है कि किसानों की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए व्यापक इंतजाम करना चाहिए। ...(व्यवधान) ऐसे जंगली जानवर जिनके बढने से किसानों की फसल खराब हो रही है, उनको रोकने का इंतजाम भी करना

चाहिए। ...(व्यवधान) तार-बाड़े के आधार पर जंगली जानवरों को रोककर हम किसानों की फसल को सुरक्षित बचा सकें, लोगों की जान-माल को सुरक्षित रख सकें, इसके इंतजाम करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। ...(व्यवधान)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): महोदया, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद हमीरपुर में बिंवार करबे में, जहां बिंवार थाना पड़ता है, वहां सवेरे 6 बजे एक लड़की जिसका नाम सुकृति है, वह वहां ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। ... (व्यवधान) समाजवादी पार्टी के जो वहां के जिलाध्यक्ष हैं ... (व्यवधान) उनके साथ जो चलने वाला है और अपने को पदाधिकारी कहता है। जो वहां पर जितेन्द्र उर्फ जीतू यादव है, उससे उसने छेड़-छाड़ की।... (व्यवधान) जब उसके पिता जी थाने में रिपोर्ट लिखवाने जा रहे थे... (व्यवधान) तो थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। ... (व्यवधान) उसके बाद छात्रा ने आत्महत्या कर ली।... (व्यवधान) ऐसी ही घटनायें लगातार होती रहती हैं।... (व्यवधान) हर जनपद में यही हाल है।.. (व्यवधान) वहां पर जब लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले नहीं चलाये... (व्यवधान) वहां पर कोई पानी की बौझार नहीं की... (व्यवधान) सीधे गोली चला दी और वहां पर रोहित पांडे की मृत्यु हो गयी,... (व्यवधान) जिसकी उम्र 25 साल थी। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और श्री अजय मिश्रा टेनी को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

It is a State matter.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: आप तख्ती पहले रख दीजिए, फिर मैं बात करूंगी।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You are going against the rules.

... (Interruptions)

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया): अध्यक्ष महोदया, गांवों में फसलें बहुत कम होती हैं और बड़े पैमाने पर विदेश से दालें लानी पड़ती हैं।...(व्यवधान) जिससे देश की करेंसी बड़े पैमाने पर खर्च होती है। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्रालय से विनती करना चाहूंगा...(व्यवधान) कि किसानों को दाल और तेलहन की फसल लगाने के लिए...(व्यवधान) उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बड़े

पैमाने पर सब्सिडी किसानों को देनी चाहिए।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह मांग यहां रखता हूं। ...(व्यवधान)

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): अध्यक्ष महोदया, आज देश के ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधा बहुत ही दयनीय स्थिति में है। ...(व्यवधान) वहां डॉक्टर्स नहीं जा रहे हैं।...(व्यवधान) सरकारी चिकित्सक शहरों में रह रहे हैं।...(व्यवधान) कमोबेश, यह पूरे देश की हालत है।...(व्यवधान) वहां के ग्रामीणजन स्थानीय चिकित्सकों के सहारे अपना जीवन यापन किसी तरह से कर रहे है,...(व्यवधान) वे स्वास्थ्य लाभ ले पाते हैं। ...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि ...(व्यवधान) आप इनको यहां से हटाइए, नहीं तो मैं ... (Interruptions)... * बोलने लगूंगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है।

श्री जनार्दन मिश्र: मेरा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि सारे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुला कर, ...(व्यवधान) एक ऐसी व्यवस्था बनायी जाये, ...(व्यवधान) कि स्थानीय चिकित्सक जो अभी भी चिकित्सा में लगे हुए हैं...(व्यवधान) उनको एक-दो साल की ट्रेनिंग दे कर, विधिवत् डिग्री दी जाये ...(व्यवधान) और उनको मान्यता प्राप्त चिकित्सक के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री जनार्दन मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा, उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वर्ष 1952 सें लेकर वर्ष 2015 तक जितने स्कैंडल्स इस देश में हुए हैं, ...(व्यवधान) चाहे वह मुंदड़ा कांड हो, ...(व्यवधान) चाहे वह जीप कांड हो, ...(व्यवधान) चाहे वह बोफोर्स हो...(व्यवधान) चाहे हमारे दो प्रधानमंत्री जी, जिनके ऊपर एफ.आई.आर. हो।...(व्यवधान) ... * के ऊपर एफ.आई.आर. हो... * के ऊपर एफ.आई.आर. हो * को भगाने की बात हो. ... * को भगाने की बात हो...(व्यवधान) ... * में दो-दो मुख्यमंत्रियों के फंसने की बात हो...(व्यवधान) क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में,...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेश के कोर्ट में हम ब्राइब लेते हैं,...(व्यवधान) हम करप्शन करते

_

^{*} Not recorded.

हैं।...(व्यवधान) एक करप्ट कंट्री के रूप में हमारा नाम आ रहा है।...(व्यवधान) ... * के जेल जाने का सवाल हो।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: किसी व्यक्ति का नाम कार्यवाही में नहीं जायेगा।

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे : मेरा यह कहना है कि चाहे टू-जी हो, सी.डब्ल्यू. जी. या कोलगेट हो ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि वर्ष 1952 से लेकर वर्ष 2015 तक जितने करण्शंस हुए हैं...(व्यवधान) सारे करण्शंस का एक व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए।...(व्यवधान) और ये चालीस लोग जो पार्लियामेंट का मुंह बंद करना चाहते हैं,...(व्यवधान) जिन्होंने बंधक बना रखा है, ...(व्यवधान) जिन्होंने रैनसम कर रखा है,...(व्यवधान) इसके लिए सरकार कोई व्यवस्था करे, ...(व्यवधान) आप कोई व्यवस्था करें...(व्यवधान) पार्लियामेंट में भ्रष्टाचार के ऊपर एक डिसकशन हो।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह सरकार से आग्रह करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. किरिट पी. सोलंकी, कुमारी शोभा कारान्दलाजे और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बलभद्र माझी (नवरंगपुर): मैडम, मैं तीसरी बार इस विषय को सदन में उठाने जा रहा हूं।...(व्यवधान) मेरा संसदीय क्षेत्र ओडिशा में नवरंगपुर है,(व्यवधान) जहां बी.एस.एन.एल. की सेवा बहुत खराब है....(व्यवधान) उसके बारे में बार-बार बोलने के बाद भी सुधार नहीं आ रहा है।(व्यवधान) पोडिया, कुडमुलगुम्मा और खैरपुट तीन ब्लॉक्स हैं।...(व्यवधान) जहां आज के दिन भी बी.एस.एन.एल. का टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है।(व्यवधान). उसके बाद मोटू, पोटेरू, पदमगिरि जो मलानगिरि जिले में आता है, कुंदई जो नवरंगपुर जिले में आता है, वहां टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया है, लेकिन वह अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें मेनटेनेंस का अभाव है। वैसे बीएसएफ कैम्प और बालिमेला रिज़रवायर में कुछ कट ऑफ एरिया है जहां कोई रास्ता नहीं और वहाँ 8 ग्राम पंचायत हैं। वहां वीसैट लगाने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक वहां वीसैट लगाने का काम चालू नहीं हुआ है। चंदाहांडी, झरीगाम, रायघर, उमरकोट, डाबूगाम पांच ब्लॉक नवरंगपुर जिले में हैं जहां रोड का काम चलने से बार-बार बीएसएनएल की केबल कट जाती है जिससे नेटवर्क खराब हो जाता है। इन सब कारणों से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती जिससे लड़के

^{*} Not recorded.

समय पर एडिमिशन नहीं ले पा रहे हैं। वे जॉब के लिए ऐप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी काम-काज भी ढंग से नहीं हो पा रहा है क्योंकि समय पर अपलोड नहीं होने से एनआरईजीएस की पेमैंट भी समय से नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इससे प्राइवेट प्लेयर्स फायदा ले रहे हैं। उनकी सेवा चल रही है जबिक बीएसएनएल की सेवा नहीं चल रही है। मैडम, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन मंडली नबरंगपुर में बीएसएनएल सेवा को तंदरुस्त किया जाए। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप जो कर रहे हैं, वह नियम बाह्य है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर खड़गे जी कुछ बोलना चाहते हैं तो पहले इन्हें वापिस ले जाना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डा. उदित राज - उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब तक आपके पोस्टर दिखाए जाएंगे तब तक किसी बात का कोई मतलब नहीं होता। यह क्या है? नियम बाह्य करते रहें और बोलने की इजाजत मांगे, दोनों बातें नहीं हो सकतीं।

...(व्यवधान)

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Madam, I am drawing the attention of the House to enhancing the input assistance under CRF to affected farmers.

Farming in modern days has become very cost-intensive with more of technological inputs. Any form of natural calamity which visits our State of Odisha very regularly causes great damage. Outbreak of disease and pest attack, etc. inflict irreparable loss to the farmers. The impact of climate change is expected to worsen the loss suffered in the farm sector, which is the life-line of our country. Unless and until ample assistance is extended to the suffering farmers, it would be impossible for them to resurrect their farm enterprise. The input assistance extended from the Calamity Relief Fund to the affected farmers for crop loss suffered due to natural calamities need to be enhanced suitable from the existing Rs.6800 and Rs.13,500 per hectare of un-irrigated and irrigated land respectively subject to a minimum of Rs.2000/- Similarly, the input assistance for

perennial and horticultural crops for crop loss at Rs.18000 per hectare should also be enhanced suitably subject to a minimum of Rs.4000/-

HON. SPEAKER: Shri Rajeev Satav.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri C. Gopalakrishnan.

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Hon. Speaker, Vanakkam. Before raising the issue, I extend my sincere gratitude to my Leader Puratchi Thalaivi Amma who selected and sent me to this august House and again with blessing of Puratchi Thalaivi Amma, I raise the important and urgent public issue.

As all of us know, the e-wastes contain hazardous materials that pose a threat to the human health and the ecological resources. India generates around 146,000 tonnes of e-waste a year. A recent survey reveals that nearly more than 8000 million tones of e-waste will be generated in India. At present, only 3 per cent of e-waste reaches the recycler. They should put separate collection banks of e-waste in every nook and corner of the cities for the public to drop unused electronic gadgets in the basket. It is suggested that major Municipal Crporations should take the responsibility of collecting e-waste directly from consumers to be handed over to a recycler.

Though the Government of India has enacted the following legislations for e-waste management, it should promote such initiatives by offering certain incentives to this industry like infrastructure status, tax rebate, concessional loan and carbon credit to the entities having required know-how and <u>infrastructure</u> to deal with the same.

Finally, I would like to appeal to the authorities concerned and all the users of electrical and electronic equipment not to discard e-waste to the unorganized facilities until the administrative guidelines are in place and procedures are laid down by the authorities concerned and stakeholders

Therefore, I urge upon the Government to take necessary actions for sustainable development principle which has been very aptly defined in the World Commission on Environment and Development (WCED) Report. Thank You.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर दो रेलगाड़ियों की ठहराव की मांग करता हूं। सप्ताहिक रेल जियारत एक्सप्रेस पटना-अजमेर, बनारस-हरिद्वार और बांद्रा-रामपुर का गंगापुर सिटी में ठहराव होना चाहिए। ...(व्यवधान) गंगापुर सिटी स्टेशन पर स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन न. 2471/2473/2475/2476 गुजरात सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस 1917/1918 कोच्चि-अमृतसर-केरल सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस जो निजामुद्दीन संपर्क क्रांति यानि कोटा एक्सप्रेस का गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर ठहराव होना चाहिए। ...(व्यवधान) देहरादून एक्सप्रेस का ठहराव गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर ठहराव होना चाहिए। ...(व्यवधान) देहरादून एक्सप्रेस का ठहराव गंगापुर सिटी में बहुत जरूरी है। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यहां पर करीब 20-30 गांवों का एरिया है और रेल यहां रुकती नहीं है इसलिए माननीय रेल मंत्री जी यहां रेलों के ठहराव के लिए आदेश जारी करें।

श्री हुकुम सिंह (कैराना): अध्यक्ष जी, सारे देश की किसानों की समस्या है। ...(व्यवधान) आपसे निवेदन है कि मुझे एक-दो मिनट अधिक दिया जाए। मैं इन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस सदन को पिछले 4-5 दिनों से 40 लोगों द्वारा ब्लेकमेल किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि वे सीट पर चले जाएं और किसानों की समस्याओं को बैठकर सुनें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : असली बात यह है कि इन्हें किसानों से कोई लेना-देना नहीं है, आप अपनी बात किहए। श्री हुकुम सिंह: लगभग 55 लाख हेक्टेयर भूमि में गन्ना उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 23 लाख हेक्टेयर में गन्ना पैदा होता है।(व्यवधान) दुर्भाग्यवश पिछले चार साल से गन्ना किसान तड़प रहा है लेकिन उसको भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 6000 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ना भुगतान के लिए दिया, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि पैसा देने के बाद अभी तक किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है।(व्यवधान) सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आखिर जितनी भी चीनी पैदा होती है उस चीनी का उत्पादन, आयात-निर्यात पर सरकार का नियंत्रण है, बिना सरकार के आदेश के कोई इसका आयात-निर्यात नहीं कर सकता। आखिर क्या कारण है कि इन चार सालों में हम इसके लिए कोई नीति नहीं बना पाए कि गन्ना किसानों को तड़पना न पड़े। गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपये अभी भी गन्ना मिलों के ऊपर बकाया है, यह भुगतान कब होगा? ...(व्यवधान) इस समस्या को माननीय सदस्यों ने भी उठया लेकिन दुख की बात है कि आत्महत्याएं जारी हैं, इस बात का कोई जवाब देने वाला नहीं है। ...(व्यवधान) जिस किसान की धान की फसल गई, गेहूं की फसल गई, गन्ने की फसल गई वह कैसे गुजरा कर रहा होगा? सरकार विचार करके गन्ने के ऊपर कोई नीति बनाए। तभी समस्या का समधान हो

27.07.2015 45

सकता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आखिर ...(व्यवधान) करोड़ों किसान परिवार तबाह होते रहें, फिर हम यहां किसके लिए राजनीति कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

में उत्तर प्रदेश से आता हूं। मेरा सारा क्षेत्र गन्ने से आच्छादित है। जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो वहां एक-एक किसान हमसे कहता है कि हम कहां से पैसा लायें, कहां से बेटी की शादी करें, कहां से मकान बनवायें, कहां से बच्चों की फीस दें।? ...(व्यवधान) मेरा बहुत विनम्रता के साथ निवेदन है ...(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी ने कृपा की और छः हजार करोड़ रुपया दिया, लेकिन वह छः हजार करोड़ रुपया कहां गया? वह अभी तक किसानों को क्यों नहीं मिला, यह जानकारी लेने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है कि चार दिनों से इन लोगों ने सदन को बंधक बना रखा है। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत और श्री प्रहलाद सिंह पटेल को श्री हुकुम सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Madam Speaker, KV Schools are most preferred by parents to get their children admitted as they provide the best and quality education. Every year there is a huge demand for admission in KV Schools, but a very limited number of seats is allocated by which many parents are disappointed.

In my parliamentary constituency Kancheepuram, KV School is available only in Kalpakkam. According to the population and basic necessity, it would be appreciated if another KV School is opened either in Kancheepuram or Chengalpattu.

So, I request the Central Government to approve one KV School in either of the above mentioned places by which many children would get quality education.

HON. SPEAKER: Kumari Shoba Karandlaje is permitted to associate with the issue raised by Shri Jugal Kishore.

श्री जुगल किशोर (जम्मू): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की इजाजत दी। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर की सीमा की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां आये दिन पाकिस्तान की

गोलियों से जम्मू-कश्मीर की सीमा पर रहने वाले लोगों को निशाना बनाया जाता है, उनके पशुओं और उनके घरों को निशाना बनाया जाता है। वहां आये दिन लोग शहीद होते रहते हैं। ...(व्यवधान) जम्मू-कश्मीर सरकार की कोई ऐसी पालिसी नहीं है कि जो लोग शहीद होते हैं, उनके परिवार वालों को कोई नौकरी दी जाये या फिर उनको कुछ धनराशि दी जाये, जिससे उसका परिवार अपना निर्वाह कर सके। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि वहां लोगों को पलायन करना पड़ता है, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा अस्त-व्यस्त होती है। इससे बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ...(व्यवधान) गोलीबारी के कारण सीमा पर स्थित भारतीय किसानों के घर और फसल, दोनों खराब हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों में देश-भक्ति का जो ज़ज्बा है, वह बरकरार रहता है। ...(व्यवधान) ये लोग बिना किसी हथियार के भारतीय सेना के साथ सीमा की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए, विशेष तौर पर सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए भर्ती योजना के तहत अभियान चलाया जाये और उन नौजवानों को भारतीय सेना और अर्द्धसैनिकों बलों में भर्ती किया जाये, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। ... (व्यवधान)

हमारा सरकार से यह भी निवेदन है कि हमारे भारतीय जवान जो पाकिस्तान की गोली से शहीद होते हैं, उनके परिवार वालों को कम से कम दस लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुमारी शोभा कारान्दलाजे जी को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : स्पीकर महोदया, आपने मुझे बहुत ही इम्पोर्टैंट सब्जैक्ट पर बोलने की इजाजत दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आई.आई.टी. रूड़की के बारे में बोलना चाहता हूं। वहां से 71 स्टूडैंट्स को निकाल दिया गया, जिसमें 31 स्टूडैंट्स अनुसूचित जनजाति, 23 स्टूडैंट्स अनूसूचित जाति और अन्य सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स हैं। अभी हाल में एक सर्वे किया गया कि दुनिया में शिक्षण के जो उच्च संस्थान हैं, उनमें भारत का क्या स्थान हैं? ...(व्यवधान) 300 में से आईआईटी को भी स्थान नहीं मिला, किसी युनिवर्सिटी को स्थान नहीं मिला। इन आईआईटीज़ को पैसा और संसाधन मिलते हैं, जमीन की भी कमी नहीं है। इनको एटोनमी है, They can take a decision. Why have they

not been positioned to build the institution of international level and repute but they are ahead in victimizing rural background students?

मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हम से नॉन प्रेक्टिकल एजुकेशन और थ्योरी की वजह से रिसर्च में बहुत पीछे हैं, इस कारण इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि इनमें बेसिक टेलेंट नहीं है, बेसिक ग्रे मैटीरियल नहीं है कि वे आईआईटी न कर सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक ओर माननीय प्रधानमंत्री ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान शुरु किया है वहीं दूसरी ओर स्टेट बोर्ड से हमारी बेटियां दिल्ली युनिवर्सिटी में एडिमशन लेने आती हैं लेकिन दिल्ली युनिवर्सिटी ने नया कानून बनाकर उनके मार्क्स में दस प्रतिशत की कटौती की है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि या तो एचआरडी मिनिस्ट्री स्टेट बोर्ड को गाईडलाइन दे नहीं तो दिल्ली युनिवर्सिटी को आदेश दे तािक हमारे बहनों और भाइयों को, जो स्टेट बोर्ड में 90-96 परसेंट लेकर आए हैं, बराबर मात्रा में दिल्ली युनिवर्सिटी में एडिमशन मिल सके। धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I am raising a very important issue as the Law Minister is present here today. I had earlier drawn the attention of the Law Minister that the name of our State Odisha has been changed to Odisha but the name of the High Court still continues to be Orissa High Court. We had earlier approached the Central Government that the name of the High Court of Orissa should be changed into the High Court of Odisha. Similarly, the names of the Bombay High Court, the Calcutta High Court and the Madras High Court still continue to be named in the pre-independence time.

It is high time that the name of the High Courts be changed. I would urge upon the Central Government to initiate action so that the name of the High Court of Orissa be changed into High Court of Odisha because the nomenclature of the State is 'Odisha'.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान बिहार के गन्ना किसानों की दुर्दशा की तरफ दिलाना चाहता हूं। जनवरी के बाद से अभी तक किसी शुगर फैक्ट्री ने पेमेंट नहीं किया है जिस कारण मेरे पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने पिछले साल इनकी मदद की थी लेकिन बिहार सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों बिल्कुल नकारा हो चुकी हैं।

मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए केंद्र से सहायता दें जिससे उनके घर में शादी, ब्याह आदि कार्य हो सकें।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.44 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले एडजर्नमेंट मोशन के बारे में बात नहीं करूंगा, इसलिए कि वह तो आपके पास है और उसके लिए हम अलग से विनती करेंगे। लेकिन मेरी एक विनती थी कि जब पंजाब में जो टैरेरिस्ट अटैक हुआ है तो उसके बारे में बहुत से सदस्यगणों ने अपनी बात को रखा। मैं भी वही बात रखना चाहता था लेकिन मैंने यह समझा कि जब नायडू साहब ने कल जब मुझे सुबह फोन करके कहा कि सारे फैक्ट्स आने के बाद हम इस मुद्दे पर सदन में स्टेटमेंट करेंगे तो मैंने यह समझा कि होम मिनिस्टर साहब सारे फैक्ट्स लाने के बाद और...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जितेन्द्र जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: वहां एनकाउंटर चल रहा था और पूरी घटना के बारे में उनके पास जानकारी नहीं थी तो इसिलए उन्होंने यह सलाह मुझे दी, मैंने यह सोचा कि सुओ मोटो स्टेटमेंट सरकार की तरफ से जब आ रहा है तो इस बात को हम बाद में रखेंगे। हमने ऐसा सोचा था लेकिन गंभीर बात यह है कि इसी सदन में फिर वह सवाल दूसरे सदस्य ज़ीरो ऑवर में उठाएं और मैं भी वही सवाल दोहराना चाहता था, ... (व्यवधान) लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तो उस वक्त मुझे बुरा लगा और हम जो धरना या प्रोटैस्ट कर रहे हैं, उससे आप भी बड़ी दुखी थीं लेकिन जब धरना चल रहा था, जब प्रोटैस्ट हो रहा था तो एक घंटा क्वैश्चन ऑवर चला। ... (व्यवधान) 20-25 मिनट प्रश्न काल चला, 45 मिनट्स ज़ीरो ऑवर चला और बहुत सी चीजों पर यहां आपने प्रस्ताव करने के लिए उनको अनुमित दी लेकिन जब उसी माहौल में मैं उठा, माहौल तो कुछ चेंज नहीं हुआ था, लेकिन उस माहौल में मुझे यह कहा गया कि आप उनको वापिस बिठाइए, पहले उनको वापिस बिठाइए, पहले उनको वापिस बिठाने के बाद तब मैं बोलूं। ... (व्यवधान) यह इंजस्टिस है। यह नाइंसाफी है और यह ठीक नहीं है।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please. I am here. I know better.

... (Interruptions)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: माननीय अध्यक्ष जी, अगर सदन में इस तरीके का एटीट्यूड रहा और हमारे बोलने के बावजूद हमें रोका जाता है, हम जो कहना चाहते हैं, देश के लिए हम सभी लोग एक हैं, इसीलिए तो

मैंने उस सवाल को आपके कहने पर नहीं उठाया।...(व्यवधान) लेकिन जब दूसरों को मौका मिलता है और कांग्रेस के लोग जब बात करने के लिए ठहरते हैं या दूसरे अपोजीशन के लोग ठहरते हैं तो किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया जाता। यह टैरेरिस्ट इश्यू सबके लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है। जब नेशनल इश्यू पर बात हो रही है तो हमारा फर्ज है कि हम उसमें हिस्सा लें लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आपने हमें इस चर्चा में हिस्सा नहीं लेने दिया। इसकी क्या वजह है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बताऊंगी।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: क्यों ऐसा हुआ और किसने इतना प्रेशर डालकर हमें बोलने से रोक दिया, मुझे मालूम नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बताऊंगी। मैं आपकी बात का उत्तर दूंगी।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने भी पहले ऐसा किया है। ऐसे कई हैं। ... (व्यवधान) यह डिसरप्शन आज की बात नहीं है। इस डिसरप्शन को समर्थन सुषमा स्वराज जी ने भी दिया है, जेटली साहब ने दिया है, नायडू साहब ने भी दिया है।... (व्यवधान) पंजाब में टेरेरिस्ट घटना हुई है, इसका हम खंडन करते हैं लेकिन सरकार की इंटेलीजेंस कहां गई थी, क्या उन्हें इसके बारे में मालूम नहीं था। इस बारे में एक्शन क्यों नहीं लिया गया?... (व्यवधान) राज्य सरकार भी यह कहती है कि सैंट्रल सरकार का फेल्योर है।... (व्यवधान) दोनों मिलकर हैं।... (व्यवधान) केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि बार्डर पर रक्षा करने की है।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Kharge Ji, it is not fair.

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट रही है।...(व्यवधान) हम ऐसे एटीट्यूट का खंडन करते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चंद्रमाजरा जी, यहां चर्चा नहीं चल रही है। आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, I am not allowing you.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, the terrorist attack in Punjab has at least been discussed and already Mr. Mallikarjun Kharge Ji has also succeeded to record his speech on the floor of the House. It is a good precedent. I think let this issue be taken up with all priority and we can initiate the discussion at the earliest possible time. No doubt, it is a national issue. Other issues are also there. Those issues are also to be taken care by the Government. Whether it is the issue of corruption or land issue or black money issue, whatever issue it may be, we want to discuss all the issues on the floor of the House and, I think, from somewhere you should begin and start the discussion.

The terrorist issue is to be dealt very firmly by the Government. Let the hon. Home Minister may come on the floor of the House and make his statement at the earliest possible time.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am happy that the Congress Party leader Shri Kharge Ji, one of the senior Members, has made the position of his Party clear.

Madam, I may submit respectfully to the entire House that as soon as I came to know of this incident, I got in touch with the hon. Home Minister. The Home Minister had told me that he was already in touch with the Punjab Chief Minister, and whatever support required from the Centre is being extended to the Punjab Government. Subsequently, it was brought to our notice that there is an encounter going on. So, then I thought it is my duty to inform the other side of what is the thinking in the Government. So, I rank up Shri Kharge Ji this morning and told him, "Sir, this is what is happening." Once the situation becomes clear, then the Government wants to make a statement in the House. He also repeated the same thing. But the point is मैडम, मैंने आपसे भी बात की और अवगत कराया। सदन में कोई भी सदस्य कब क्या इश्यू उठाना चाहते हैं, यह अधिकार उन्हें है। सरकार की तरफ से मैंने इतना ही कहा है कि जो मामला सदस्यों ने उठाया है, इस बारे में बाद में गृह मंत्री जी वहां मुठभेड़ समाप्त होने के बाद एक वक्तव्य देंगे और उस समय किसी को पूछना है तो वह पूछ सकता है, इतना ही सरकार की ओर से कहा है। दुर्भाग्य है, यह इश्यू बहुत गंभीर है, यह पालिटिकल इश्यू नहीं है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी रिलेटिड

इश्यू है। The entire House should speak with one voice. If the Chair has allowed some Member to raise the issue and the hon. Member has raised that issue and some more Members have joined him and expressed their solidarity on that issue and then wanted the Government to respond, then I also stood up and said again that once the encounter is over, the Home Minister will make a statement in the House. That is what I have said. Firstly, there is nothing wrong done by the Government. Secondly, now it is very unfair, with all my respect to Kharge Ji, that at this hour when the encounter is going on, trying to find fault with the Government about intelligence failure is not done. Kharge Ji, what I request you is that let the encounter be over. The Home Minister will make a statement. Let the House discuss it threadbare. Let us have all other views. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपको नहीं बोल रहे हैं। मुझे उत्तर देना है, इनकी बातों का। I will do that.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपकी बातों का जवाब मैं दूँगी।

...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Now, this is not the time to score political points over this issue. This is what I am trying to appeal. ... (*Interruptions*)

Secondly, Madam Speaker, Speaker need not explain why the Speaker is allowing anybody or not allowing anybody. ... (*Interruptions*) We wanted the House to be in order. Who is responsible for the House not to be in order? People who created that situation cannot find fault with the Speaker. ... (*Interruptions*) They created this situation. They did not allow their leaders to speak. How can they now find fault with the Speaker? ... (*Interruptions*) I would request them to please ponder over this, introspect and let us not create such situation. You cannot eat the cake and have it again. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय खड़गे जी ने अपनी बात कही है। बात ठीक है। एक बात आप सब लोग भी समझ लें। श्री चन्द्रमाज़रा जी गुरुदासपुर से आ रहे हैं, उन्होंने कहा था। मगर उसके बाद मैंने जीतेन्द्र जी

को भी कहा था कि इस इश्यू पर जब तक आपके लोग वेल में हैं, आप नहीं बोलेंगे। मैंने आपको भी मना किया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उस वक्त भी मैंने यही कहा था।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसलिए आपको भी अलाऊ नहीं किया और आपको भी वही कहा था। मैंने जीतेन्द्र जी को भी कहा था, मैंने उन्हें भी यही बात कही कि आप हाई के इश्यू के बारे में कहना चाहते हैं, तो भले ही आपके लोग कहें, लेकिन लोग वेल में भी खड़े हैं और आप कहेंगे, मैंने इनको भी अलाऊ नहीं किया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: The same thing मैंने आपको भी कहा था कि जब तब आपके आपके लोग वेल में हैं I just cannot allow. That was the only thing. आपके लिए मैंने कहा था कि आप इनको वापस ले लें, तो आपको भी बोलने की अनुमित मिलती। वह मैं दे रही थी। मगर वह नहीं हुआ है। Now, the matter is over.

अब बात यह है कि जैसा हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि जब तक यह मामला वहाँ समाप्त न हो जाए, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे ही वहाँ सब कुछ शांत हो जाएगा, वहाँ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बारे में बाद में होम मिनिस्टर आकर बोलेंगे। उस समय आप एकाध प्रश्न पूछ लें। हालांकि वह पद्धित भी लोक सभा में नहीं है। मगर जैसा आप लोग तय करेंगे, उस समय मैं जरूर देखूँगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं? यह ज़ीरो आवर थोड़े ही चल रहा है? About what do you want to speak?

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब मंत्री जी ने बताया कि होम मिनिस्टर आकर यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, गुरुदासपुर में जो इंसीडेंट हुआ है। हमने भी बताया कि हमें भी सभा की मर्यादा मालूम है।

HON. SPEAKER: But protest and speech cannot go together.

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: हमें अफसोस है कि वहाँ पर जो हो रहा है, यदि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट देंगे, तो हम लोग सब उसका वेलकम करेंगे। हम लोग प्रोटेस्ट बंद करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : अभी भी आप यह लेकर खड़े हैं। आपको वास्तव में बोलने का अधिकार नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: जब गृह मंत्री जी आएंगे, तब हम प्रोटेस्ट बंद करेंगे, ऐसा हमने कहा था मैडम। लेकिन उससे पहले, जब वे आएंगे, तो सभा की मर्यादा के हिसाब से हम करेंगे। लेकिन आज जो हो रहा है, हरेक चीज में आप खुद देख रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह डिस्कशन का इश्यू ही नहीं है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, Matters under Rule 377.

... (Interruptions)

14.13 hrs

At this stage, Shri Balka Suman, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: This is not the issue. आपको जो करना है, मैंने पहले ही कहा कि posters are not allowed.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप रूल के अगेंस्ट कुछ भी करते रहें, यह नहीं होगा। I am sorry. ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका व्यवहार रूल्स के अगेंस्ट है। This will not do. I am sorry. ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप पोस्टर भी दिखाते रहें और यह भी करें, it will not be allowed. ...(व्यवधान)

14.15 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

HON. SPEAKER: Matters under Rule 377. Dr. Udit Raj.

... (*Interruptions*)

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity to raise an important issue related to the Civil Aviation Ministry. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You have to read the text only while raising a matter under Rule 377.

... (Interruptions)

(i) Need to review the selection process for recruitment of senior trainee pilot in Air India in view of rejection of some candidates belonging to reserved category

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Madam, during recruitment of Senior Trainee Pilot (P2) with A320 endorsement in Air India, 78 candidates were selected for appointment - 11 SC and 6 OBC candidates have been selected in general merit category and there are still vacancies in 14 SC, 12 ST and 87 OBC seats. As per MHA order O.M. No. 1/1/70-Estt.SCT, 25th July 1970, "If SC/ST candidates obtained, according to normal position in examination for direct recruitment less vacancies than the number reserved for them, selecting authorities have discretion, in order to make up the deficiency, to select candidates belonging to these communities who may have obtained low place in the examination, provided that such authorities are satisfied that the minimum standard necessary for maintenance of efficiency of administration has been reached in their cases."

DOPT Brochure Reservation SC/ST/OBC Clause 3.8 states, "to the extent the number of vacancies reserved for SC, ST and OBC cannot be filled on the basis of general standard, candidates belonging to these communities will be taken

by relaxed standard to make up deficiency in reserved quota, subject to fitness of these candidates for appointment to the posts in question."

Psychometric test, on the basis of which most candidates were rejected, was not part of advertisement issued by Air India and was arbitrarily added to the selection process to accommodate favoured candidates. Rejected candidates are from backward sections and have taken loans from banks to complete their training and hence should be accommodated.... (*Interruptions*)

(ii) Need to protect Varunavat Mountain in Uttarakhand using latest technology

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय

क्षेत्र टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) की ओर दिलाना चाहती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के उत्तरकाशी में 12 वर्ष के

बाद वरूणावत पर्वत ने फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसने उत्तरकाशी शहर के लोगों की नींद उड़ा

दी है। सितम्बर, 2003 भूरखलन के बाद वरूणावत पर्वत का ट्रीटमेंट किया गया था, जिसके बाद कुछ वर्षों

तक यह पर्वत शांत रहा है। अभी 15 जुलाई को तांबाखाणी सुरंग के ऊपर पर्वत के दरकने के कारण लोग

भयभीत हैं। ज्ञानस्, इंदिरा कॉलोनी, भटवाडी मार्ग के आस-पास के लगभग दस हजार लोगों पर खौफ का

साया मंडरा रहा है। वर्ष 2003 में केन्द्र सरकार ने वरूणावत पर्वत के उपचार के लिए 282 करोड़ रुपये का

पैकेज दिया था। जिस तकनीक से उपचार होना था, उसकी अनदेखी की गयी। पांच वर्ष तक इसका

ट्रीटमेंट चला, सीमेंट व कंकरीट के सीढीनुमा प्लेटफार्मों से पानी निकालने के लिए नालियां बनाई गईं,

लेकिन नालियों को खुला छोड़ दिया गया। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि इसी कारण से फिर वरूणावत

पर्वत दरक रहा है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वरुणावत पर्वत के उपचार हेतु उच्च

तकनीकी का प्रयोग किया जाए, जिससे वरूणावत पर्वत का सही उपचार हो सके।... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : श्री सतीश चंद्र दुबे - उपस्थित नहीं।

श्री ओम बिरला

... (*Interruptions*)

(iii) Need to immediately allocate funds and set up super-specialty blocks in different medical colleges under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana in Rajasthan

श्री ओम बिरला (कोटा): माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तीसरे फेस में 39 मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के विस्तार हेतु सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक बनाए जाकर उनका अपग्रेडेशन किया जाना निर्धारित किया गया था। उक्त योजना के अन्तर्गत राजस्थान के तीन मेडिकल कालेज, 1. कोटा मेडिकल कालेज, 2. उदयपुर मेडिकल कालेज, 3. बीकानेर मेडिकल कालेज चुने गए थे। प्रत्येक में 150-150 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक्स का निर्माण किया जाना था, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जमीन व अपने हिस्से के रूप में 20 प्रतिशत राशि वहन करनी थी। राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर समस्त औपचारिक्ताएं पूर्ण करके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। उक्त कार्य नवम्बर 2014 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित था, किन्तु अभी तक उक्त तीनों मेडिकल कालेजों में सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक के निर्माण हेतु आवश्यक राशि रिलीज नहीं हो पाई है, जिसके कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कोटा, उदयपुर, बीकानेर मेडिकल कालेजों में प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना-3 के अंतर्गत प्रस्तावित सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक्स की स्थापना हेतु प्रत्येक मेडिकल कालेज को उपलब्ध कराई जाने वाली 1.5 करो की धनराशि को अविलम्ब जारी ब्लॉक्स का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कराया जाए।... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया - उपस्थित नहीं।

श्री छेदी पासवान।

... (Interruptions)

(iv) Need to provide transportation, drinking water and other civic facilities to the pilgrims visiting Guptadham in Sasaram Parliamentary Constituency of Bihar

श्री छेदी पासवान (सासाराम): मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम (बिहार) में अति प्राचीन धार्मिक आस्था का केन्द्र गुप्ताधाम अवस्थित है, जहां लाखों श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। गुप्ताधाम जाने के दो रास्ते - प्रथम, पनियारी से गुप्ताधाम जो पहाड़ पर चढ़ कर जाना पड़ता है एवं दूसरा, चेनारी डैम से पहाड़ के किनारे-किनारे जिसमें सात नदियों को पार कर धाम में लाखों श्रद्धालु जाते हैं।

दुःखद स्थिति यह है कि आज तक गुप्ताधाम आने-जाने के लिए सुगम सड़क निर्माण के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गई है। सड़क निर्माण के साथ-साथ श्रद्धालुओं के लिए पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधा की कमी के फलस्वरूप अति कठिनाई झेलनी पड़ती है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से श्रद्धालुओं के आवागमन हेतु चेनारी डैम से गुप्ताधाम (रोहतास) तक सड़क निर्माण तथा पेयजल एवं नागरिक सुविधाएं मुहैया शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु संबंधित मंत्रालय को निर्देशित करने की कृपा की जाए।... (Interruptions)

(v) Need to set up an AIIMS like Institute in Begusarai, Bihar

खाँ. भोला सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदया, बिहार सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृति क्षेत्रों में लगातार पिछड़ता रहा है। आज भी लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। हजारों महिलाओं की प्रसूति में मौत हो रही है। कैंसर, हृदय रोग एवं नस संबंधी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इस अवस्था में बिहार में विश्वस्त एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के अस्पताल में ही इन व्याधियों का इलाज किया जा सकता है। नतीजा लाखों की संख्या में बिहार के लोग नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के लिए आते रहते हैं और उनका इलाज संतोषप्रद ढंग से नहीं हो पा रहा है। पटना में जो एम्स है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के रूप में वह अभी भी पूर्ण आकार नहीं ले सका है। उत्तर बिहार तो इस मामले में भयानक स्थिति से गुजर रहा है। गंगा, कोशी, अधमारा समूह की नदियों के हिस्सों में पनपने वाली विभिन्न रोगों की फसलें बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं। करोड़ों लोग इलाज के अभाव में बेपनाह हैं। बेगूसराय जिले में चिकित्सकों का एक लंबा समू है। पूर्णिया, किशनगंज, अरिया, सुपौल, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया से हजारों रोगी इलाज के लिए बेगूसराय के निजी नर्सिंग होमों में आते हैं। उत्तर बिहार में बेगूसराय की भौगोलिक स्थिति मध्य में है। केन्द्र सरकार ने 2015-2016 के अपने बजट में बिहार में एक और एम्स खोलने का प्रस्ताव दिया है। यह एम्स उत्तर बिहार में बेगूसराय में खुले। यहां जमीन भी उपलब्ध है। आवागमन के कई राष्ट्रीय मार्गों से यह जुड़ा हुआ है। इसलिए एम्स के लिए यह समीचीन भी है और तमाम तरह की भौतिक संरचनाएं यहां उपस्थित हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय प्रधान मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि बेगूसराय में नए एम्स खोलने के लिए अपने स्तर से पहले करें।...(व्यवधान)

(vi) Need to provide reservation in promotion to the persons belonging to SC, ST and OBC

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन का ध्यान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों का वरिष्ठत क्रम में पदोन्नित आरक्षण देने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग, होमगार्ड्स विभाग, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी/अधिकारी रिवर्ट किए गए हैं जिससे उक्त लोग पीड़ादायक ग्लानि को सहन नहीं कर पा रहे हैं और आत्महत्या की स्थिति में पहुंच गए हैं। इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए पदोन्नित में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है क्योंकि इन वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों का उत्तर प्रदेश सरकार से विश्वास उठ गया है और वे सभी केन्द्र सरकार की ओर बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारयों/अधिकारियों को वरिष्ठता क्रम में प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने का विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत करके पारित कराने की कृपा करें। ...(व्यवधान)

(vii) Need to ensure availability of doctors and medicines in each Primary Health Centre in Uttar Pradesh particularly in eastern Region of Uttar Pradesh

श्री लल्लू सिंह (फ्रेंज़ाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदया, न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र वरन आधा उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पूर्वांचल तक आवश्यक चिकित्सा के अभाव की समस्या से ग्रस्त है। मामूली रोगों से पीड़ित लोग लखनऊ और दिल्ली 250 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक इलाज के लिए घर, खेत, पशु बेचकर आने के लिए विवश हैं। कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इण्डिया में एक सर्वेक्षण का परिणाम प्रकाशित हुआ था कि देश में प्रति वर्ष 5 करोड़ परिवार अपने इलाज के लिए उधार लेते हैं और इस कारण से प्रभावित परिवार गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। सर्वेक्षण का यह परिणाम प्रत्यक्ष मैं तो अपने चारों ओर प्रायः पाता हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) की सिफारिश है कि चिकित्सा व्यवस्था के लिए जी.डी.पी. का 5 प्रतिशत व्यय आवश्यक है। देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वीकारा गया है कि 2.5 प्रतिशत व्यय किया जाए परन्तु अभी तक मात्र 1.4 प्रतिशत व्यय करने की व्यवस्था देश में है। चीन, ब्राजील, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान सभी भारत से कहीं आगे स्वास्थ्य पर व्यय करते हैं। अमेरिकन सरकार कुल चिकित्सा व्यय पर 47 प्रतिशत, चीन 56 प्रतिशत, जर्मनी 76 प्रतिशत, ब्रिटेन 84 प्रतिशत और भारत केवल 30 प्रतिशत व्यय करता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह धरातल की सच्चाई को समझे और समस्या का समाधान करे। प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में चिकित्सक व निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवायी जाए।...(व्यवधान)

(viii) Need to re-open M/s. Sone Valley Cement Limited for the welfare of poor labourers in Palamu District of Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): महोदया, झारखण्ड राज्य के जिला पलामू के अन्तर्गत मैसर्स सोन वैली सीमेन्ट्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी। देश में यह एक प्राचीनतम वेट प्रोसेस सीमेन्ट प्लान्ट है। वर्ष 1992 से यह सीमेन्ट प्लान्ट बन्द पड़ा हुआ है। परिणामस्वरूप हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं तथा काम के अभाव में पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। यहां तक कि नक्सलियों के दस्ते में सम्मिलित होने के लिए विवश हो रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस फैक्ट्री को शीघ्रातिशीघ्र खुलवाने की कृपा करें ताकि गरीब मजदूरों का जो बकाया है, उसका भुगतान हो सके और मजदूर पलायन के लिए मजबूर न हों एवं नक्सलियों के दस्ते में सम्मिलित होने के लिए विवश न हों। फैक्ट्री खुलवाकर सरकार उनकी सभी मांगों को पूरा करे।

...(व्यवधान)

(ix)Need to increase number of platforms at Muzaffarpur station and develop Narayanpur Anant station into a railway terminal in Bihar.

श्री अजय निषाद (मुज़फ़्फ़रपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारा संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर (बिहार) की

व्यावसायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। लीची के लिए सुप्रसिद्ध मुजफ्फरपुर विभिन्न व्यावसायिक

गतिविधियों के लिए न केवल बिहार अपित् पूरे देश का आकर्षण का केन्द्र है। यहां से कई सुपरफास्ट

एक्सप्रेस रेलगाड़ियां देश के विभिन्न शहरों के लिए खुलती हैं, बावजूद इसके मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर

प्लेटफार्म की संख्या अपर्याप्त है, जिस कारण गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान में काफी परेशानियों का

सामना रेल प्रशासन को उठाना पड़ता है, साथ ही इसका खामियाजा यात्रियों को भी भुगतना पड़ता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि मुजफ्फरपुर जंक्शन पर

प्लेटफार्म की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ इसका आधुनिकीकरण किया जाए, साथ ही गाड़ियों एवं यात्रियों

की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मुजफ्फरपुर जंक्शन के पास ही हाजीपुर-मुजफ्फरपुर रेल खंड पर स्थित

रामदयालू नगर रेलवे स्टेशन एवं मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर रेल खंड पर स्थित नारायणपुर अनन्त स्टेशन को

रेलवे टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाए। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No posters are allowed.

(x) Need to extend Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme to even those farmers whose land holdings are larger than that of marginal farmers.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी आज्ञा से इस पवित्र सदन में आपके मार्फत माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी एवं माननीय ग्रामीण एवं पंचायत राज विकास मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा में 5 हजार करोड़ का बजट अधिक देकर ग्रामों में ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने यह भी निर्देश दिये हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना (मनरेगा) का 60 प्रतिशत बजट कृषि के विकास हेतु अपनाई गई योजनाओं एवं उनसे संबंधित दीर्घकालीन कार्यों पर खर्च किये जायेंगे।

कृषि कार्यों में कूप निर्माण, तलाई निर्माण, खेती की मेढ़बंदी, चारागृह निर्माण, छोटे शीत भंडारों का योजना के तहत केवल छोटे एवं सीमांत कृषकों को ही लाभ मिलता है। यह बात सही है कि भारत में अधिकतर सीमांत कृषक एवं छोटे कृषक हैं। पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात एवं कई अन्य क्षेत्रों में औसतन जोत सीमा बड़ी हैं। अतः इस योजना का उन कृषकों को भी लाभ दिया जाना चाहिए जिनकी जोत सीमा सीमांत काश्तकार की सीमा से थोड़ी ज्यादा है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय प्रधान मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि वे मनरेगा में ऐसा प्रावधान करें कि सीमान्त काश्तकार की जिस-जिस क्षेत्र में जितनी सीमा हो, उससे दोगुनी सीमा तक के काश्तकारों को भी लाभ मिल सके। जैसे मेरे क्षेत्र में दो हेक्टेअर सीमांत काश्तकार की सीमा है, इसे चार हेक्टेयर कर दिया जाता है तो मध्यम श्रेणी के काश्तकारों को भी मनरेगा का लाभ मिलेगा एवं उससे देश में कृषि पैदावार भी बढ़ेगी। मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को लाभ देने के लिए प्रस्तावित व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है तो राष्ट्र एवं किसान के हित में होगा। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

(xi) Need to ensure growth of small and micro industries under 'Make in India' mission for overall development of the economy.

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदया, 'मेक इन इंडिया' मिशन के तहत अभी तक वृहत एवं विदेशी निवेश आधारित उद्योगों पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया है, जबिक देश की परिस्थितियों के आधार पर स्पष्ट है कि लघु उद्योगों, एग्रो बेस्ड उद्योगों पर ध्यान देने से इस मिशन की सफलता त्वरित की जा सकती है। कैसी विडम्बना है कि खाद्य तेल पर आयात की निर्भरता बढ़ रही है, वहीं देश में तेल व दाल मिलें बंद हो रही हैं। अतः इस संबंध में अध्ययन कर उचित नीति के प्रतिपादन की आवश्यकता है। जापान, चीन आदि का विकास लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों द्वारा ही संभव हुआ। मेक इन इंडिया मिशन को लघु एवं सूक्ष्म औद्योगिक जगत में लोकप्रिय करने हेतु लघु भारती का सहयोग लिया जा सकता है, जिनका कार्य क्षेत्र सभी राज्यों में कुल मिलाकर 400 जिलों में व्याप्त है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि 'मेक इन इंडिया' मिशन को सफल बनाने के लिए भारतीय आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को उनकी नीति बनाकर अगर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री के मिशन 'मेक इन इंडिया' की सफलता को कम समय में पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

(xii) Need to take effective measures to abolish child labour in the country

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदया, आज बाल श्रम ने दुनिया के जिन तमाम देशों में एक गम्भीर समस्या का रूप धारण कर लिया है, उनमें भारत भी है। बाल श्रम निषेध होने और उच्चतम न्यायालय के तमाम निर्देशों के बावजूद बच्चों को मजदूरी से रोकने में अभी भी उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल पायी है। रह-रह कर बंधुआ बाल मजदूरी के मामले सामने आते रहते हैं। गरीब परिवारों के माँ-बाप अपनी कठिन आर्थिक परिस्थियों से पार पाने के लिए अपने बच्चों को विभिन्न तरह के कामों पर लगाना उचित समझते हैं। समाज के एक तबके में यह धारणा भी व्याप्त है कि बच्चों को प्रारम्भ से ही किसी न किसी हुनर से लैस हो जाना चाहिए। इस सबके चलते तमाम बच्चे बाल मजूदर बने जाते हैं और फिर वे मजदूरी के चंगुल से निकल नहीं पाते हैं। वे शिक्षा के साथ स्वयं के स्वाभाविक विकास से भी वंचित होते हैं तथा जोखिम भरे काम करने के साथ ही शोषण का शिकार होते हैं। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को भारत सरकार भी पालन करने के लिए वचनबद्ध है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि देश में बाल श्रम की एक बड़ी वजह निर्धनता के उन्मूलन तथा जागरूकता हेतु तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं। ... (Interruptions)

(xiii) Need to include khejri tree, known to play a vital role in preserving ecology of arid and semi-arid regions, in the list of protected plant species

श्री अर्जुन राम मेघवाल (वीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत के क्षेत्रफल के अनुसार औसत वनक्षेत्र नहीं है। वनक्षेत्र या पेड़ों की संख्या कम होने से जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक संतुलन नहीं बन पाता है। बढ़ती जनसंख्या और पेड़ों की होती कम संख्या पर्यावरण संस्क्षण में नकरात्मक भूमिका अदा करती है। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। पूरे राजस्थान में वनों का क्षेत्र भारत के अन्य राज्यों से बहुत कम है और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह थार रेगिस्थान का हृदय स्थल है। रेगिस्थानी क्षेत्र में खेजड़ी का वृक्ष पारिस्थितिक संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के कारण स्थानीय भाषा में खेजड़ी को तुलसी भी कहते हैं और परिवार की एवं स्थानीय महिलाएं खेजड़ी की तुलसी की भाँति पूजा-अर्चना भी करती हैं। मध्यकाल में जब खेजड़ी के वृक्ष की कटाई का हुक्म तत्कालीन शासनकर्ताओं ने दिया तो स्व. अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में महिलाओं ने खेजड़ी से चिपक कर अपनी जान दे दी, लिकन खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा की। खेजड़ी के वृक्ष से जो सांगरी का उत्पादन होता है, उसकी सब्जी भी बनती है और वह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। सांगरी से पहले खेजड़ी पर मिंजर लगती है जो आयुर्वेदिक औषधि के रूप में काम आती है और इससे कई त्वचा एवं अन्य रोगों का उपचार होता है।

अतः इतने उपयोगी पेड़ की रक्षा के लिए सदन के माध्यम से मेरा माननीय वन पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि खेजड़ी के वृक्ष को संरक्षित पेड़ों की श्रेणी में लेकर कोई विशेष दर्जा देने की व्यवस्था की जाती है तो खेजड़ी का वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों में बहुतायत से पनप सकता है और रेगिस्थान भी हरा हो सकता है तथा वहां के क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन बना रह सकता है। ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: यह जो आप कर रहे हैं, यह दूसरे सदस्यों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। यह जो कर रहे हैं, वह उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह दूसरे सदस्यों के अधिकारों का हनन है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप जो कर रहे हैं, वह रूल्स के खिलाफ आपका बिहेवियर है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उसके साथ-साथ आप सदस्यों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। This is not proper, I am requesting you.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.सी. मोहन - उपस्थित नहीं। श्री डी.के.सुरेश - उपस्थित नहीं। श्री एम.के.राघवन - उपस्थित नहीं। श्री टी.राधाकृष्णन - उपस्थित नहीं।

... (Interruptions)

(xiv) Need to construct an outer ring road around Salem city, Tamil Nadu

SHRI V. PANNEERSELVAM (SALEM): I would like to highlight traffic congestion in my Salem Parliamentary Constituency, Tamil Nadu.... (*Interruptions*)

The national Highway N.H.-7 passes through the Salem city. The National Highway roads (NH 47 & 68) start from Salem city. ... (*Interruptions*) The vehicles passing through the above mentioned NH roads and SH roads generate traffic congestion in Salem city. ... (*Interruptions*)

In order to decongest the above traffic, an outer ring road has been proposed by NHAI under NHDP Phase-VI for a length of 60 kilometres around Salem city connecting all National Highways roads mentioned above. ... (*Interruptions*) This scheme is pending since 2008. The outer ring road would no doubt reduce 50% of the traffic flow. ... (*Interruptions*)

I request the hon. Minister of Road Transport and Highways to take suitable steps for the construction of the said outer ring road.... (*Interruptions*)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): I may be permitted to lay on table of the House the matter under Rule 377. ... (*Interruptions*) HON. SPEAKER: Okay.

(xv) Need to revive the muslin industry*

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): In the history, there is no name more famous than that of Muslin. Archaeologists believe that Muslin of the finest quality found from the excavated sites in India was produced during the Indus valley civilization about 5000 years ago. But the first documented origin of this finely woven fabric is from Dhaka. The original Bengal Muslin was exported to far off Rome under the name textalis- ventalis 'Woven air' and other fancy names like 'Evening dew' and Morning Mist'. Historically, Muslin has been recognized as a 100% cotton. Muslin was produced from a cotton plant that grew exclusively along the banks of a certain stretch of the Brahmaputra river.

However, the Muslin industry started declining following the battle of Plassey.

The muslin revival effort actually started at Nabadwip in neighbouring Nadia Distrit in West Bengla in 1992. A group of Weavers there managed to produce 500 count Muslin that is, a thousand metres of yarn spun so fine as to weigh only two grams. However, later on its production was not cost effective. Now the West Bengal Khadi and Village Industries Board has taken up a project to revive and promote Bengal Muslin through a historical approach.

I would like to request the Hon'ble Minister of Micro, Small and Medium Enterprises to kindly take up the project Muslin wherein various linkages of revival and growth are addressed comprehensively comprising interventions like

^{*} Laid on the Table.

skill development, technology support, design inputs, product diversification, credit linkage, marketing support etc.

HON. SPEAKER: Shri Sultan Ahmed - not present. Shri Rabindra Kumar Jena.

(xvi) Need to set up one stop trauma care centre meant for women affected by violence in each district of the country

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): It is a matter of public concern that instead of 660 one-stop trauma care centres that are supposed to come up in the country, we will now have just 36, one in each State which will not serve the intended purpose. ... (*Interruptions*) One-stop Centre provides medical, legal and psychological support services under one roof to women survivors of violence, and therefore, having just only one centre in each state is of no value. ... (Interruptions) The Ministry of Home Affairs, which manages the Nirbhaya Fund, has spent only about 1 per cent of the total allocation since the inception. ... (*Interruptions*) The Government had planned the establishment of a platform for supporting a Call Tracking and GPS based Police Vehicle dispatch function with a view to improve the efficiency of police response to the calls of women in distress situations and provide speedy assistance, under which my constituency and district Balasore, would have been a beneficiary as a Type B city, but that too has been delayed. ... (*Interruptions*) In Balasore, in the year 2012-13, there were 87 cases of assault on women with intent to outrage their modesty and 20 cases of insult to the modesty of women. ... (Interruptions) Now that there are reports that the Nirbhaya Fund will be managed by the Ministry of Women and Child Development. ... (*Interruptions*) I urge the Government to expedite works on all the pending infrastructure relating to women security and ensure that trauma centres are created in every district at the earliest including one in my district of Balasore.

HON. SPEAKER: Shri Prataprao Ganpatrao Jadhav - not present. Shri Jaydev Galla – not present. Shri A.P. Jithender Reddy.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Hon. Speaker Madam,

I am on protest. However, the matter is an important one related to citizens. ...

(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You are not raising your matter.

... (*Interruptions*)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Madam, I would like to lay my paper on the

table. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is okay.

(xvii) Need to provide separate coach/seats for senior citizens in trains*

SHRI A.P. JITHENDER REDDY(MAHABUBNAGAR): Madam, I would like to

bring to your kind attention that the Railways are playing an important role in

nation building. No doubt, Railways have taken and are taking several measures

for welfare of people like reservation of seats/berths for Freedom

Fighters/Ladies/Differently-abled persons but in the process we have forgotten our

senior citizens who face many hardships during their travel being

old/weak/medically unfit/poor etc. and they have to jostle with the youngsters and

other co-passengers to get a seat/berth and even at times they have to go standing

as nobody wants to share a seat or help them.

Keeping in mind the above said difficulties being faced by them, I urge the

Government to kindly make a provision of separate coach/seats for them so that

their genuine problems can be taken care of.

HON. SPEAKER: Shri P. Karunakaran -not present.

Shrimati Kothapalli Geetha.

* Laid on the Table

(xviii) Need to accord special category status to Andhra Pradesh for the fast economic development of the State.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): I would like to draw the attention of the hon. Prime Minister, the hon. Union Minister of Home Affairs and the hon. Union Minister of Finance towards the pathetic state of Andhra Pradesh. The entire august House is well aware and would agree with me that the State of Andhra Pradesh has been affected economically following the bifurcation. Even though many promises were made during elections as well as through the Reorganisation Act and also on the floor of both the Houses of Parliament, unfortunately, it is yet to get any concessions. The State is burdened with a huge debt of over Rs. 1.46 lakh crore with no big development on the economic and financial front. The special status that was promised to the State stills remains in a state of confusion and it is arousing unrest among the people. No tax discounts or holiday is provided. At the same time, I wholeheartedly thank our hon. Prime Minister and hon. Union Minister of Finance for providing budgetary relief in terms of financial support but the assurance of providing special status still remains unfulfilled.

Hence, keeping in view the grim situation prevailing in Andhra Pradesh, I request the hon. Prime Minister, through the Chair, to kindly take a favourable decision and announce special status for Andhra Pradesh. ... (*Interruptions*) माननीय अध्यक्ष: आप जिस तरीक से दूसरों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, यह बच्चों जैसी हरकतें हैं। उपर से बच्चे आपको देख रहे हैं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shrimati Supriya Sule.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, I may be permitted to lay my matter. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes.

(xix) Need to address the malnutrition problem in India.*

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Madam, according to the World Health Organisation, close to 1.3 million children die every year in India because of malnutrition, 48 per cent children under the age of five are stunted or too short for their age, which indicates that half of the country's children are chronically malnourished. The devastating combination of poverty, poor status of girls and women, food insecurity, especially in vital nutrient-rich foods, poor health services, and abysmal sanitary conditions simply cannot sustain healthy child growth. The existing response to malnutrition in India has been skewed towards food-based interventions and has placed little emphasis on schemes addressing the other determinants of malnutrition. Any intervention to address the problem of malnutrition should have the potential to prevent the occurrence of illness among children, which calls for ensuring safe water supply and sanitation, a widely neglected sector in rural areas and urban slums. Indians are also suffering from chronic micronutrient malnutrition which results from consistently consuming foods severely lacking in vitamins and minerals – particularly vitamin A, iron, iodine and zinc – which are essential for proper physical and mental development. Supplementation programmes, biofortification of crop, commercial fortification, and school-based deworming campaigns can prove highly beneficial to tackle this effectively. As governments worldwide tighten their belts and increasingly search for ways to fight this menace effectively, the value-for-money that can be achieved with micronutrient malnutrition interventions cannot be ignored.

HON. SPEAKER: Shri Rama Kishore Singh – not present.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Sukhbir Singh Jaunpuria.

^{*} Laid on the Table

(xx) Need to immediately release funds for Amly Bagh Safari, a famous tourist place in Tonk Parliamentary Constituency of Rajasthan.

श्री सुखबीर सिंह जीनपुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला टोंक में "अमली बाघ सफारी" नामक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। इसमें हर वर्ष हज़ारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं और यह राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है।

राजस्थान सरकार के द्वारा 115 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है परन्तु केन्द्र सरकार ने इस विषय में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए। इस विषय में दिनांक 21.7.2015 को अतारांकित प्रश्न संख्या 128 में भी केन्द्र सरकार ने स्वीकार किया है कि राजस्थान सरकार द्वारा 115 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस विषय में ठोस कदम उठाते हुए जल्द से जल्द कार्यवाही करें और 115 करोड़ रुपये की राशि तुरन्त जारी करने का आदेश करें।

14.48 hrs

DELHI HIGH COURT (AMENDMENT) BILL, 2015

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Legislative Business. Item No. 19 under Bills for consideration and passing – Shri D.V. Sadananda Gowda.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: जो भी आप कर रहे हैं, वह उचित नहीं है। मैंने कहा है कि सदस्यगण अपने अपने पोस्टर्स लेकर वापस जाएँ, अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएँ। यह तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Madam Speaker, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Delhi High Court Act, 1966, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

HON. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Delhi High Court Act, 1966, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Madam, I am speaking from seat No 249. I hope, you would permit me to speak from here. ... (*Interruptions*)

We are supporting the Bill under consideration because people are demanding justice and there are people who are waiting for justice. People are waiting for justice because there is a huge pendency of cases in the courts. ... (*Interruptions*)

This Bill seeks to amend Section 5 of the Delhi High Court Act and Section 25 of the Punjab Courts Act. It seeks to enhance the original pecuniary jurisdiction of the Delhi High Court and 11 district courts in the National Capital Territory of Delhi from Rs. 20 lakh to Rs. 2 crore. ... (*Interruptions*)

The Statement of Objects and Reasons to the Bill mentions that enhancement of said jurisdiction would reduce the work load of High Court of Delhi as well as pendency therein and also provide justice at the door steps of the litigant public with reduced cost of litigation and maximum convenience.... (*Interruptions*)

The Bill empowers the Chief Justice of Delhi High Court to transfer any pending suit to a relevant subordinate court.

It observed that following such amendment, around 12,211 cases, which are pending in the High Court of Delhi, would be distributed amongst 11 district courts. This would facilitate speedier disposal of these cases.... (*Interruptions*)

The change in pecuniary jurisdiction of other courts has happened in the earlier years. The pecuniary jurisdiction of High Court of Bombay was last revised in the year 2012 to Rs.1 crore by effecting amendment to the Bombay City Civil Court Act, 1948. However, Section 3 of the said Act permits the High Court of Bombay to retain jurisdiction over matters connected with Intellectual Property Right, Letters of Patent, Parsi Marriage and Divorce etc. Even if valuation of suits

thereon is less than Rs.1 crore, the High Court of Bombay can consider it.... (*Interruptions*)

The pecuniary jurisdiction of High Court of Kolkata was last revised in the year 2013 from Rs.10 lakh to Rs.1 crore by effecting amendment to the Kolkata City Civil Court Act, 1953. Section 5 of the Act however provides concurrent jurisdiction to both High Court of Kolkata and Kolkata Civil Courts on the suits whose valuation exceeds Rs.10 lakh but not exceeds Rs.1 crore.

Both Union Parliament and State legislatures have concurrent power and competence to alter the pecuniary jurisdiction of High Courts and District Courts by the combined reading of Article 225, Entry 78 of List 1 (Union List) and Entry 11A, 13, 46 of List III which is the Concurrent List of the Constitution.... (*Interruptions*)

Article 239 AA(3)(a) under Part VIII of the Constitution *inter alia* expressly curtails the legislative power of NCT of Delhi to make such amendments to law under Entry 65 of List II which is the State List under the Seventh Schedule of Constitution. Insofar as that relates to Entry 1, which is a public order, Entry 2 of police and Entry 18 of land, it is relevant to note that Entry 65 of the State List talks about jurisdiction and power of all courts except the Supreme Court with respect to any matter in the said List... (*Interruptions*)

The full Bench of the Delhi High Court in the case of Geetika Panwar and Delhi High Courts Bar Association versus NCT of Delhi and others in 2003 had held that the Delhi High Courts (Amendment) Act, 2001 passed by the Legislative Assembly of NCT of Delhi to increase pecuniary jurisdiction of High Courts of Delhi and District Courts in Delhi from Rs. 5 lakh to Rs.20 lakh as ultra vires as NCT of Delhi has no legislative competence to amend the Delhi High Court Act, 1966. It had held that Parliament alone has the power to alter jurisdiction of High Court of Delhi.... (*Interruptions*)

Madam, Speaker, with reference to this, I specifically wish to mention the number of cases which are pending before the Courts and the situation which has changed. If we compare the High Court of Bombay, in 2003 there were about 42,293 cases, in 2008 the pendency pertains to 41,765. In 2013 the number has reduced to 6081. In Kolkata while the pendency in 2003 was10,623, in 2008, after the amendment, it got reduced to 7,879 and in 2003 it has got reduced to 6,932.... (*Interruptions*) In Delhi the pendency in 2003 was 7,853, in 2008 the pendency of civil suits increased to 2,815. In 2013, the number has increased to 12963 which is close to 13,000 cases. In Himachal Pradesh, in 2003, the pendency of cases was 195 which increased in 2008 to 365 and in 2013, the same has come to 354... (*Interruptions*). In Madras, in 2003, the pendency was 4300, in the year 2008, it became 6249 and in 2013, it rose to 6326... (*Interruptions*)

In this regard, Madam Speaker, if the original jurisdiction gets shifted to the trial courts up to the limit of Rs.2 crore, it will enhance the expeditious disposal of cases... (*Interruptions*)

However, as regards commercial cases, I have one submission and request to make to the Government that if the Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Court Bill, 2015, could be brought simultaneously, the cases would not have to be transferred twice over.

Thank you.

SHRI J.J.T. NATTERJEE (THOOTHUKUDI): Madam, I rise to speak on the Delhi High Court (Amendment) Bill, 2015 and I thank the Chair for this opportunity... (*Interruptions*)

This Bill is aimed at reducing the workload of the Delhi High Court which is to handle increased number of civil cases related to properties. The increased economic activity in the National Capital Region has its impact on property value... (*Interruptions*). This is reflected in the civil cases filed in the Delhi High Court. So, a way out has been found out through this Bill to see that civil cases worth lesser value of amounts will be disposed of at the level of district courts. This Bill will also benefit the poor people living in the National Capital Territory... (*Interruptions*). While filing civil cases for small amounts, they have to cover a long distance to reach the Delhi High Court and they have to spend more... (*Interruptions*). Now that this Bill changes the jurisdiction of civil suits involving value of Rs.20 lakh to district courts, poor people need not spend more time and money in civil litigation... (*Interruptions*)

Madam, ordinarily civil suits involving value of Rs. 20 lakh and above come under the High Court of Delhi... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 4.00 p.m.

14.58 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

16.01 hrs

The Lok Sabha reassembled at One Minute past Sixteen of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

माननीय अध्यक्ष: मानननीय सदस्यगण, मेरे बार-बार निवेदन करने के बाद भी सदस्यगण द्वारा प्लेकार्ड दिखाना बन्द नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं अन्य सदस्यों के सामने प्लेकार्ड लगाकर उनके अधिकारों का हनन भी हो रहा है। साथ ही स्पीकर के सामने प्लेकार्ड लाने की हरकत तो बिल्कुल अनुचित है। मेरे बार-बार चेतावनी देने के बाद भी माननीय सदस्यगण भी नहीं मान रहे हैं तथा श्री अधीर रंजन चौधरी का व्यवहार बहुत ही अनुचित और अनुशासनहीन है ...(व्यवधान) और चेयर के प्रति अवमानना दर्शाने वाला है। So, Shri Adhir Ranjan Chowdhury I name you for having disregarded the authority of the Chair in abuse of the rules of the House by wilfully obstructing the business of the House just before the adjournment of the House at 1500 hours in spite of my repeated caution given to you.

... (Interruptions)

16.02 hrs

MOTION REGARDING SUSPENSION OF MEMBER FROM THE SERVICE OF THE HOUSE

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Madam Speaker, I beg to move that Shri Adhir Ranjan Chowdhury, a Member of the House, who has been named by the Speaker, be suspended from the service of the House for the reminder of the Session beginning today... (*Interruptions*)

16.03 hrs

At this stage, Shri N.K.Premachandran, Shri Jyotiraditya M Scindia and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: This is not the way. Again the same thing is happening.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Kharge, is it the way? Again the same thing is happening.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. Please go to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Again you are coming to the well for what purpose? I have not yet taken up the motion for voting. But what you are doing is not right. It is not like this. This is not the way.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am sorry. This is not the way.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam Speaker, I want to point out that what has happened in the House was not done by a single Member. A large number of Members of Opposition are aggrieved on various counts. They have been demonstrating. We have told them not to do this. We as a Party did not take part but to single out a Member for punishment is something which is not fair. Madam, political problems cannot be solved by orders.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You please go to your seats. Not like this. I am sorry.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Political problems cannot be solved by punishment. I would request you not to put this Motion to vote.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I cannot hear anybody.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No, I am sorry. I cannot hear you, Prof. Saugata Roy because all these Members are shouting. This is not the way to behave. Again and again, they are coming to the well of the House. Is it the way to speak to the Speaker? Again they are showing disrespect. Is it the way to speak? Again, they are showing disrespect to the Chair. The same thing is happening, Shri Tathagata Satpathy. I am sorry.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Such a thing has happened. Should I still keep quiet? Do you think so? Is it the way to speak again?

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Nobody can disobey the Chair and nobody can threaten the Chair. That being the case, I appeal to the Congress Members to accept the rule and go back to their seats and cooperate in running the House. That is the position of the rule. ... (*Interruptions*)

You have suspended nine Members of Telangana earlier. You have suspended ten Members of Andhra Pradesh earlier. Do not teach us lessons. He has to withdraw. The Motion is approved by the House, Madam. They should respect the Chair. This is not the way for them to disrespect the Chair and defy the Chair. Let them go back to their seats. Shri Kharge, ask your Members to go back to their seats and respect the Chair. Hon. Speaker has already given her ruling. She has named him. The decision of the House is final. You cannot dictate. यह कोई पद्धित नहीं है।...(व्यवधान) हमें पूरा देश देख रहा है।...(व्यवधान) Even on national sensitive issues, you do not want to hear anybody. You do not want to hear the Government; you do not want to hear the Speaker. You do not want to follow the rules. How can it go on like this? What is happening?... (Interruptions)

HON. SPEAKER: You go back to your seats. I cam calling Prof. Saugata Roy to speak. But Prof. Saugata Roy, it should not be in this manner. Again they are doing the same thing. What will you say now?

... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: Madam, do not act in a punishing mood. We have to run the House. We want a political problem to be solved. But punishment is not the way to solve the problem. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I understand it.

PROF. SAUGATA ROY: The Ruling Party is taking a vindictive and punishing attitude. Why are you naming a single Member? There have been demonstrations on political issues. You solve political problems politically. But please Madam, do not punish a single Member. It is all right that you have named a Member. You ask him whether he wants to express regrets. But please do not go for suspending him for the rest of the Session. This will be vindictive; this will be punishing and this will be against the spirit of cooperation in the House. After all, we have to run the House in future. So, the problem can be solved politically.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I accept that whatever you are saying is correct. मैं इसके फेवर में नहीं हूं, इसलिए दो दिन से चेतावनी दे रही हूं। आज भी मैंने दी थी। स्पीकर के सामने आए थे या नहीं। आज इनके प्लेकार्ड स्पीकर के मुंह के सामने भी आए थे। Why I am naming only Shri Adhir Ranjan Chowdhury is because of his action. It is the height of it. That is why I am naming him.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: You please go to your seats. This is not the way. Whatever you want to say, you will say only from your respective seats. I am sorry.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Kharge ji, if this is the behaviour, how can I run the House?

... (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Speaker, I need not tell you that you should have abundant patience. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: First, let them go to their seats. I am sorry.

... (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I do not want to tell you that you should have abundant patience. I do not want to tell you that one should have abundant patience. You have got that patience. It is not our intention to insult anybody or to disturb the House. We have got certain problems which we have given to you.

हमने आपके सामने रखा है। जब वह समस्या हमारे सामने है, नैचुरली इस हाउस में आज का ही नहीं, आप 20-25 साल का रिकार्ड निकालकर देखिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, बात केवल अभी की कर रहे हैं, 25 साल की नहीं।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: जब आपकी सरकार नहीं थी, उस वक्त...(व्यवधान) मैं आपसे बात कर रहा हूं लेकिन ये बीच में उठ रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry Kharge ji.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I am on my legs. ... (Interruptions): जब समस्या का समाधान नहीं हुआ इसीलिए सारे सदस्यों ने इकट्ठा होकर प्रोटैस्ट किया, तब प्लेकार्ड रखे। जब प्रोटैस्ट करते हैं, किसी एक को आइसोलेट करके उसे पनिशमेंट देना कानून में प्रिसिडैंट नहीं है और ठीक भी नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप 10 साल का रिकार्ड देखेंगे, जितने भी वीडियो देखेंगे, उनका बिहेवियर कैसा था।...(व्यवधान) किस ढंग से चले, यह सदन कैसे चला, यह सबको मालूम है। इसलिए हमारी यह मंशा नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सौगत राय जी, मुझे भी कुछ बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, मुझे मेरे प्रश्न का इतना ही उत्तर चाहिए।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: हम वही उत्तर देंगे।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: He is asking why only one person. मुझे भी मालूम है। सब लोग जो कर रहे हैं, मैं दो दिन से शांति से सबको चेतावनी दे रही हूं। But only he indulged in such kind of action. बाकी सब लोग नीचे थे। वह यहां चढ़कर आए। That was the height of it. That is why I am naming him.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूं। जब वे अच्छा बोलते हैं तब मैंने कई बार उनकी प्रशंसा की। But this is not the way.

PROF. SAUGATA ROY: I will say in one minute.

HON. SPEAKER: I want your cooperation.

PROF. SAUGATA ROY: We have cooperated with you. As Kharge ji was saying there has been agitation in the House. That has been going on. I must say that it is your grace and patience that in spite of whatever agitation, you have tried to run the House to the extent possible. Now, what has happened is a political agitation. Now, a political agitation, as I repeatedly say, has to have a political solution. It is not for the Speaker to resolve. The ruling Party must reach out to the Opposition, talk to them and find out a way. I am not on that. But the agitation was lodged by several Parties in the Well. There was the Congress; there was the TRS; there was the CPI (M). Other parties were also involved in it.... (*Interruptions*) The Samajwadi Party was asking for a caste census. The TRS was asking for a High Court. The Congress had demanded the resignation of a certain people. Out of this, to single out one Member would be unfortunate.... (*Interruptions*) Please listen to me.

Madam, you have mentioned this. All I want to say is this.... (*Interruptions*) Madam, under Rule 374 (1), you have the power and the capacity to name a Member who, you believe, has indulged in disorderly conduct or brought down the prestige of the House. My prayer to you is that if permitted, he can get up and express regret. It can stop at that.... (*Interruptions*) You have named a Member. You are the Speaker, the custodian of the House. That should be good enough. You can call him and say: "Mr. Chowdhury, are you sorry for what happened?" He can say: "Yes, Madam, I am sorry." The matter can end there. But, if the Ruling Party behaves in a vindictive way, with a view to punishing and singling out a Member, that will not sort out the political problem. Vindictiveness, a punishment mentality is not going to resolve the matter.

माननीय अध्यक्ष : एक बात का आप ध्यान रखें, मैं आपकी बात बहुत शांति से सुन रही हूं। यहां अपमान व्यक्ति का नहीं हुआ है, सुमित्रा महाजन का नहीं हुआ है, चेयर का हुआ है। आपकी बात को समझने की कोशिश कर रही हूं, मुझे किसी को विन्डिकटविली सजा नहीं देना है किंतु यह मेज थपथपाने की भी बात नहीं है। What is our psyche in this issue? It shows the psyche of the people. What

are we doing? Why are all these things happening? I am not saying anything. I do not want to do anything vindictively. मुझे भी मालूम है, मैं भी उनका सम्मान ...(व्यवधान) मगर उनकी एक्शन के लिए बात हो रही थी। मैं किसी एक को सिंगल आऊट नहीं करना चाहती हूं, किंतु हमें आज करना पड़ा, मैं सब की बात पर बार-बार बोल रही थी, मेरे सामने भी स्टीकर लाए गए, अभी भी मेज थपथपाकर कुछ बात हो रही है। Is it the way? Is this the respect shown? आप मुझे न्याय दीजिए, आप फिर खड़े होंगे ...(व्यवधान)।

प्रो. सौगत राय: मैं मेज थपथपाने का समर्थन नहीं करता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप महानता दिखाइए, आप 374 पॉवर का इस्तेमाल करके एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन इसके आगे बात को नहीं बढ़ने दीजिए। ...(व्यवधान) आप लोग मेज नहीं थपथपाइए। ...(व्यवधान) पार्लियामेंट में हम और आप, तुम और हम नहीं होता, हम सभी पार्लियामेंट के मेंबर हैं ...(व्यवधान) सदन की महानता को बनाए रखना हम सभी का फर्ज है और हम इसमें आपका साथ देंगे। ...(व्यवधान) हम डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं थे लेकिन मुझे लगता है कि नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। आपने नाम लिया वह ठीक है, आपका रूल मान लेता हूं, लेकिन उसके आगे मत बढ़िए, ...(व्यवधान) इससे हाऊस का माहौल खराब हो जाएगा, वातावरण खराब हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है। आप इसे विन्डिक्टव एटिट्यूड से मत देखिए।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए, मैं समझ रही हूं, खड़गे जी अब आपको क्या कहना है?

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: जो गड़बड़ी में बिल पास हो रहा था, ...(व्यवधान) इसको रोकने के लिए हम लोगों ने सारी कोशिशें कीं, ...(व्यवधान), अधीर रंजन चौधरी जी को आप एक चांस दीजिए, वह बोलेंगे,...(व्यवधान) । आप उन्हें चांस दो। ...(व्यवधान) He will explain. ... (Interruptions)

श्री एम. वैंकेया नायडू: अध्यक्ष महोदया, यह दोबारा आरोप लगा रहे हैं। ...(व्यवधान) दोबारा आरोप लगा रहे हैं कि हम गड़बड़ी में बिल पारित करना चाहते हैं। ...(व्यवधान) हम बिल गड़बड़ी में पारित नहीं करना चाहते थे। ...(व्यवधान) Please put the record straight. We never wanted to pass the Bill in the pandemonium. We wanted to have discussion. They are not ready to join the discussion. हड़बड़ी में बिल पास करने का हमारा कोई इरादा नहीं था ...(व्यवधान) मगर दोबारा वही आरोप लगा रहे हैं। ...(व्यवधान) उनके मन में ऐसा कोई इंट्रास्पैक्शन नहीं है, ऐसा दिख रहा है। ...(व्यवधान) चेयर के ऊपर आरोप लगाना, अंगुली उठाना कहां तक उचित है? ...(व्यवधान) He is a very senior Member. I appeal to him, please understand as to what has happened

in the House. We never had any intention to pass the Bill in the pandemonium. हड़बड़ी में पास करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम चर्चा के लिए तैयार थे। ...(व्यवधान) बिल पर चर्चा हो रही थी, लेकिन चर्चा नहीं होने दी और स्पीकर तक आये, इसलिए यह मामला यहां तक आया।...(व्यवधान) इससे पहले भी सदन ने दस लोगों को सस्पैंड किया गया है। ...(व्यवधान) पवन कुमार बंसल जी ने प्रस्ताव पारित किया है। ...(व्यवधान) पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ...(व्यवधान) यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे मैं भी स्वीकार करता हूं। ...(व्यवधान) में सौगत राय जी से सहमत हूं। ...(व्यवधान) मगर हाउस चले, यह एक तरफ से नहीं होगा। ...(व्यवधान)

मैडम, इतना भारी बहुमत दिया, फिर भी हाउस को नहीं चलने देना, पीएम के खिलाफ नारे लगाना और हाउस में प्लेकार्ड्स लाना, बड़ा पहलवान, छोटा पहलवान, तो यहां कौन है पहलवान? यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ...(व्यवधान) यह क्या तरीका है? ...(व्यवधान) प्रधानमंत्री जी के लिए हाय-हाय बोलना कोई पद्धित नहीं है। ...(व्यवधान) यह शोभा नहीं देता। ...(व्यवधान) इन लोगों ने पचास साल तक राज किया है। ...(व्यवधान) हम हड़बड़ी में कोई बिल पारित नहीं करना चाहते थे, चर्चा करना चाहते थे। ...(व्यवधान) मगर चर्चा को इन लोगों ने एलाऊ नहीं किया, चर्चा में भाग नहीं लिया, हंगामा किया और प्लेकार्ड्स दिखाया। आपके टेबल पर चढ गये, इसलिए यह मामला यहां तक आया।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Hon. Speaker, Madam, as Pope is regarded as the supreme sovereign in the city of Vatican, you are also the supreme sovereign of this House, that is called Parliament. You are holding the most august Chair of the democratic institution in our country. Over the years, I have been witnessing this House, and even witnessed many uproarious scenes but never in my tenure I have betrayed or displayed or shown any kind of disrespect, disregard to this august Chair. Today, I can perceive that you have been hurt, and the House may have been hurt by my behavior, I do not know but the fact is that you have to consider the prevailing situation of this House where we have been agitating on some legitimate issues..... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको भाषण देने के लिए नहीं कहा। मैंने आपको भाषण सुनाने के लिए नहीं खड़ा किया है।

HON. SPEAKER: I am sorry. If you do not want to say sorry, it is okay; you can sit down.

... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I do not even have the audacity to disrespect you because you are holding the august Chair of this House. You are also the custodian of all of us but the situation has been prevailing in such a way where I thought that I had been debarred from participating in a very serious legislation. I was interested to participate in the discussion on the legislation concerning the atrocities on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which is supposed to be passed today and once I found that I had been debarred from participating in the legislative business, I got agitated. But I regret it and I tender my unqualified apology to you. I am begging unqualified apology to you.

माननीय अध्यक्ष: यह एक्सपलेनेशन नहीं है। I don't understand.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, अभी तक मुझे कहानी सुना रहे हैं। Is it the way?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप तो बिल्कुल मत बोलिए। आप तो मेजें थपथपाइए, आनंद मनाइए। समझते तो हैं नहीं कि कैसे व्यवहार करना है। गुस्सा दिलाते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या हो रहा है? I am sorry. This is not at all the way.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप एक बात सुनिए, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि माफी मांगने का तरीका सीखें।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Saugat Royji, have you seen what is happening? मुझे उपदेश दिया जा रहा है, मैं हार्श होती जा रही हूं। मैं एक बात और बताऊंगी कि कहीं से यह बिल पास करने की हड़बड़ाहट नहीं थी। चर्चा हो रही थी। AIADMK's Member was on his legs. मैंने किसी को बिल पर चर्चा करने के लिए मना नहीं किया था। यह नहीं कहा था कि कोई चर्चा में हिस्सा नहीं ले सकता है। बात केवल यह है कि आप वैल में भी खड़े रहो, स्पीकर के सामने तख्तियां भी लाओ और फिर बोलो, ऐसे बात तो नहीं हो सकती है। AIADMK's Member was on his legs. यहां से कोई भी बिल हड़बड़ाहट में पास करने की, कम से कम चेयर से कोशिश नहीं हुई थी। मिनाक्षी लेखी जी का भाषण हुआ था, एआईएडीएमके का सदस्य भाषण कर रहा था। यहां जो कुछ हो रहा था, मैं दो दिन से बराबर बोल रही हूं, आप चाहें तो मेरे वर्ड्स देख लें, मैं आपको चांस दे रही थी कि आप कम से कम तख्तियां वापस ले लो। मैं बार-बार चांस दे रही थी, यह उचित नहीं है। यह सब कुछ हो रहा था। अभी भी आप मुझे ही भाषण देंगे। क्या आपने कहा था कि आपको किसी विषय पर बोलना है? This is not the way. I am sorry.

प्रो. सौगत राय: आप इस मैटर को छोड़ दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : फिर एक काम करना होगा। अब इतना सब कुछ हुआ है। रिगरेट करने का तरीका होता है। I will give the ruling.

... (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, before you make your observation, please allow me.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: अर्जुन राम मेघवाल जी, अनुराग जी, मैं रूलिंग नहीं दे रही हूं। मेरा इतना ही कहना है कि इतना सब कुछ होने के बाद जो भी हुआ, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ सुझाव देकर, बोलकर माफी मांगी जा रही है लेकिन माफी मांगने का तरीका उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक दूसरी बात, मैं स्थापित करना चाहती हूं कि चेयर की तरफ कोई हड़बड़ाहट में बिल पास करने की कोशिश से भी नहीं हुई है। यहां बराबर चर्चा चल रही थी, आपको चर्चा में हिस्सा नहीं लेना था या आपको हंगामा ही करना था। मेरा बार-बार निवेदन हंगामा नहीं करने के लिए था। आप भी देख रहे थे कि मैंने नियम 377 के अधीन मामले भी पढ़वाए थे। मेरी कोशिश थी कि मैं अच्छे तरीके से हाउस चलाऊं। पहले दिन से मेरी कोशिश यही रही है। मेरी आज भी यही कोशिश थी, मैं खड़गे जी को आतंकी हमले पर बोलने का मौका दे रही थी। मेरा केवल इतना कहना है कि दोनों हाथ में लडड़ नहीं होते हैं। आप

सदस्यों को वापस लेकर उस विषय पर बोल सकते थे, मैंने यह भी कहा था लेकिन यह बात भी सुबह से नहीं मानी गई थी। मुझे नहीं लगता है कि चेयर की तरफ से किसी भी प्रकार से आप सबको बोलने से मना किया हो। It has not happened like this. फिर भी अगर आप लोग मानते हैं तो मैं कुछ कहूंगी। प्रस्ताव आपका है इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी।

...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकेया नायडू: सौगत जी ने कहा, खड़गे जी ने भी कहा कि हमारा दायित्व बनता है कि सदन ठीक तरह से चले और सबको बहस में भाग लेने का मौका मिले। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आगे बढ़ें, यह सबकी इच्छा है, इसमें दो राय नहीं है मगर किसी को फांसी पर चढ़ाने की हमारी पद्धित नहीं है। On 24.4.2012, 12 Members, I can read the names... (Interruptions) Ten Members from Telangana ... (Interruptions) Nine Members were suspended. ... (Interruptions) Then, subsequently, Andhra Members were suspended by the Parliamentary Affairs Minister. I am not quoting this to justify my points. ... (Interruptions) Kharge ji, you are a very senior member. Try to understand. Protecting the dignity of the House and also dignity of the Chair is the duty of all of us because there was criticism against the Speaker also. What I suggest is, if at all we want to end this and we want to make a beginning, we should all resolve that we should function in a democratic manner.

दूसरे, अधीर रंजन जी, जो सीनियर हैं और मंत्री भी रहे हैं। उनके अपने व्यवहार के कारण, अपने मन में कि मैंने गलती की, ऐसा उन्होंने महसूस किया तो जस्टिफाइ नहीं करना चाहिए और किंतु परंतु न कहकर सीधा स्पीकर मैडम से कहकर हाउस के द्वारा माफी मांगनी चाहिए। वही एकमात्र विकल्प है।...(व्यवधान) आपने भी देखा होगा, मैडम, आपने पुरानी परम्परा भी देखी है। Without any riders or without making a preface, let him say, I am sorry for my behaviour today of going to the Speaker. ... (Interruptions) You do not want to hear; you do not want to follow that.... (Interruptions) If you do not want a solution, then I leave it to you. ... (Interruptions) I am sorry, then we cannot do anything. ... (Interruptions) If these Members are interested in punishing him, I leave it to them.... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है? Mr. Jyotiraditya Scindia, please take your seat. This is not the way.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am sorry; nothing will go on record.

... (Interruptions)... *

माननीय अध्यक्ष: ज्योतिरादित्य जी, इतना कुछ होने के बाद क्या क्रॉस-टॉक होना जरूरी है?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is not the way. इसका अर्थ यह होता है कि सॉरी भी कोई ऐसे बोलता है, हाथ में तलवार लेकर सॉरी कोई थोड़े ही बोलता है? ऐसा नहीं होता है। सॉरी बोलने का भी तरीका होता है। अगर नहीं कहना हो तो मैं आग्रह नहीं कर रही हूं। आप प्लीज, मेरे मुंह से भी कुछ शब्द मत निकलवाइए। यह क्या हो रहा है? आपके जो सरदार हैं, उनको थोड़ा तो बोलिए।

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, already he has expressed regret and unqualified apology. फिर बार बार उसको दोहराना ठीक नहीं है और एजीटेशन करना एक बात अलग है। वह हमारा हक है। हम वह करते रहेंगे। उसके लिए यह कम्प्रोमाइस की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ, उसके लिए उन्होंने अपोलीजी की है। इसीलिए उसको क्लोज कर दीजिए। आगे सदन के सामने जो हमारी समस्या है, वह हम रखेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :खड़गे जी, अब ऐसा है कि आप अधीर रंजन जी का भाषण फिर से देखिए। यह अपोलीजी है या क्या है?

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): माननीय अध्यक्ष जी, यह जो चर्चा हो रही है, यह हमारे लिए कोई मर्यादा की बात नहीं है लेकिन जब आप खुद समझ रही है, जब आप ट्रेजरी बेंच को भी कह रही हैं और वे तैयार नहीं हैं क्योंकि भावना ऐसी हो जाती है।...(व्यवधान) यह नोंक-झोंक कई दिनों से चल रही है। आज यह जो अनर्फालंग बिहेवियर बोलिए या जो भी कहिए, जिसके लिए वे खुद भी रिग्रेट कर रहे हैं। हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान) अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं।...(व्यवधान) इन्होंने भी जो किया है, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं

^{*} Not recorded.

कर रहा है और इसलिए वे खुद भी रिग्रेट कर रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि उस समय जब हाउस ऑर्डर में नहीं था और बिल पर डिसकशन हो रहा था, हमारे सदस्य रूल बुक लेकर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहे थे।...(व्यवधान) जब ऑर्डर नहीं होता है तो डिसऑर्डर को एनकरेज किया जाता है और वह हम सबके लिए अनफोर्चुनेट है। मैडम, न तो यह वैटिकन सिटी है और न यहां पोप है।...(व्यवधान) लेकिन यह जो सदन है, इसकी अपनी एक मर्यादा है। आप अध्यक्षा हैं। चेयर के लिए भी एक मर्यादा है, उस मर्यादा को कोई भी पार करे, हम उसका कभी भी समर्थन नहीं कर सकते हैं। हमारी लोकतांत्रिक परम्पराएं हैं और मेम्बर जब ऐजीटेटिड होते हैं तो हमारे कुछ तरीके हैं और आपके भी हैं।...(व्यवधान) आप वहां बैठे हैं, आप साधु बन सकते हैं और यदि आप यहां बैठते हैं तो दूसरा कुछ कर सकते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी है। अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे। यह कोई चर्चा का विषय नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। रमेश जी, आप बैठ जाएं। यह कोई चर्चा का विषय नहीं है और कोई पर्सनल बात नहीं है। आप कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचन्द्रन जी, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Yes, Adhir Ranjanji, would you like to say something?

... (Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam, I have already expressed my apologies.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, you have not.

... (Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I have already begged unqualified apologies from you. If you need, I will do it once again. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, I do not need anything. Again you are doing the same thing. I do not need anything from you. It is not me who want anything from you.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Is this the way to say this?

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप कृपया माफी मत मांगिए।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam, you should not enrage upon me... (*Interruptions*) You should not enrage upon me.

HON. SPEAKER: I am not asking you for that.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: You are a great person! I am not asking you to say sorry. How can I say so?

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: You do not want to do this. आप सभी अगर मेरी बात मानते हैं तो मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि जो कुछ भी चल रहा है, मुझे उचित नहीं लग रहा है। वास्तव में अंतर्मन से जो माफी नहीं है, वह माफी मैं नहीं मानती हूं। आप माफी मत मांगिए। यह माफी किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। यह बात केवल चेयर के लिए है। मैं यहां से इतना ही निवेदन करूंगी कि जो हुआ है वह बहुत कटु है और जो वास्तव में उचित नहीं है। कम से कम आज के दिन के लिए अधीर रंजन जी should leave the House. और आप पूरे सत्र के लिए इनके सस्पेंशन का प्रस्ताव वापिस ले लें तो अच्छा रहेगा। अगर आप सभी को मान्य हो तो मैं यह रूलिंग दे देती हूं।

16.38 hrs

At this stage Shri Adhir Ranjan Chowdhury left the House

... (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We will go by the Chair's advice.

HON. SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the motion moved by Shri Arjun Ram Meghwal be withdrawn?

The motion was, by leave, withdrawn.

16.39 hrs

DELHI HIGH COURT (AMENDMENT) BILL, 2015 – Contd.

HON. SPEAKER: Now the House shall take up Item No. 19 – Shri J.J.T. Natterjee to continue.

SHRI J.J.T. NATTERJEE (THOOTHUKUDI): Madam, I would like to ask a question as to how we propose to meet the increasing number of judges in the district courts to dispose of the cases in a fast track manner... (*Interruptions*) When we are shifting many cases from the high courts, naturally the burden will be shifted to the lower courts like district courts and city civil courts.... (*Interruptions*) So, the need of the hour is to recruit adequate number of judges and magistrates.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Natterjee, they do not want to run the House, so, you can continue tomorrow.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 28th July, 2015 at 11 a.m.

16.40 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 28, 2015/Shravana 6, 1937 (Saka)